अनुबंध

बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश

भूमिका

चलनिधि आस्तियों में वृद्धि के लिए निधि प्रदान करने तथा प्रत्याशित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक बाध्यताओं को समुचित लागत पर, बिना अस्वीकार्य हानि उठाये, पूरा करने की बैंक की क्षमता है। चलनिधि जोखिम तब होता है जब ऐसी बाध्यताओं के देय हो जाने पर बैंक अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन बाध्यताओं को पूरा करने में अक्षम होता है। प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि बैंक अपनी बाध्यताओं के देय होने पर उसे पूरा करे तथा इससे एक प्रतिकूल परिस्थिति विकसित होने की संभावना कम रह जाती है। इसका महत्व इस तथ्य से बढ़ गया है कि एक संस्था में भी चलनिधि संकट होने पर प्रणालीव्यापी परिणाम हो सकते हैं।

2. बैंकों में चलनिधि जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण प्रकट होता हैः

(i) **चलनिधि निधीयन जोखिम** - यह जोखिम कि बैंक अपने दैनिक परिचालनों या अपनी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किये बिना प्रत्याशित और अप्रत्याशित मौजूदा और भावी नकदी प्रवाह और संपार्श्विक आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ नहीं होगा।

(ii) **बाजार चलनिधि जोखिम** - यह जोखिम कि बैंक बाजार में अपर्याप्त गहराई के कारण या बाजार विघटन के कारण मौजूदा बाजार मूल्य पर किसी पोजीशन को आसानी से ऑफसेट या समाप्त नहीं कर सकेगा।

3. हाल की घटनाओं ने बैंकों के चलनिधि जोखिम प्रबंधन में अनेक कमियों को उजागर किया है, जिनमें चलनिधि आस्तियों की अपर्याप्त धारिता, जोखिमपूर्ण या सरलता से नकदी में परिवर्तित न होने वाले आस्ति पोर्टफोलियो का निधीयन अस्थिरतापूर्ण संभावना वाली अल्पावधिक देयताओं से करना, तथा सार्थक नकदी प्रवाह अनुमान और नकदी आकस्मिकता योजनाओं का अभाव शामिल हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकों द्वारा अपने चलनिधि जोखिम प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने सितंबर 2008 में *"सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण के सिद्धांत"* प्रकाशित किया। यद्यपि पूरा दस्तावेज **परिशिष्ट I** के रूप में दिया गया है, बीसीबीएस द्वारा परिकल्पित बैंकों द्वारा सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन के व्यापक सिद्धांत नीचे दिये गये हैः

चलनिधि जोखिम के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के बुनियादी सिद्धांत	
सिद्धांत 1	बैंक चलनिधि जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक को एक सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक भार रहित, उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों सहित पर्याप्त चलनिधि रखता है ताकि बैंक विभिन्न प्रकार की दबाव की घटनाओं का, जिनमें असुरक्षित और सुरक्षित निधीयन स्रोतों की हानि या क्षति शामिल है, सामना

	कर सके। पर्यवेक्षकों को बैंक के चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और उसके चलनिधि पोजीशन की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना चाहिए तथा यदि किसी भी क्षेत्र में कमी हो तो जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा वित्तीय प्रणाली को संभावित हानि सीमित करने के लिए उसे शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।
चलनिधि जोखिम प्रबंधन का प्रशासन	
सिद्धांत 2	बैंक को अपनी कारोबारी रणनीति और वित्तीय प्रणाली में अपनी भूमिका के अनुरूप चलनिधि जोखिम सहनशीलता को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए।
सिद्धांत 3	वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को जोखिम सहनशीलता के अनुसार चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक पर्याप्त चलनिधि रखता है, एक रणनीति, नीति और प्रथाएं विकसित करनी चाहिए। वरिष्ठ प्रबंधतंत्र को निरंतर बैंक की चलनिधि स्थितियों के संबंध में सूचना की समीक्षा करनी चाहिए तथा निरंतर आधार पर निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना चाहिए। बैंक के निदेशक मंडल को कम-से-कम वर्ष में एक बार चलनिधि के प्रबंधन से संबंधित रणनीति, नीति और प्रथाओं की समीक्षा और अनुमोदन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वरिष्ठ प्रबंध तंत्र प्रभावी रीति से चलनिधि प्रबंधन कर रहा है।
सिद्धांत 4	बैंक को सभी महत्वपूर्ण कारोबारी गतिविधियों के लिए (तुलनपत्र की या तुलनपत्रेतर) आंतरिक मूल्य निर्धारण में, कार्य निष्पादन माप में तथा नये उत्पाद की अनुमोदन प्रक्रिया में चलनिधि लागत, लाभ और जोखिम को शामिल करना चाहिए और इस प्रकार प्रत्येक कारोबारी क्षेत्र में जोखिम लेने के लिए दिये जा रहे प्रोत्साहनों का उन चलनिधि जोखिम एक्सपोजरों के साथ तालमेल बैठाया जाना चाहिए जो संबंधित कारोबारी क्षेत्र की गतिविधियां पूरे बैंक के लिए उत्पन्न करती हैं।
चलनिधि जोखिम की माप और प्रबंधन	
सिद्धांत 5	बैंक के पास चलनिधि जोखिम की पहचान करने,उसकी माप करने, निगरानी और नियंत्रण करने की सुदृढ़ प्रक्रिया होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में एक उपयुक्त अवधि के दौरान आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्रेतर मदों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाहों को संपूर्णता में अनुमानित करने का एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क शामिल होना चाहिए।
सिद्धांत 6	बैंक को चलनिधि की अंतरणीयता के संबंध में विधिक, विनियामक और परिचालन संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विधिक सत्ताओं, कारोबारी क्षेत्रों और मुद्राओं के भीतर और उनके बीच चलनिधि जोखिम एक्सपोजर और निधीयन आवश्यकताओं की सक्रिय रूप से निगरानी और नियंत्रण करना चाहिए।
सिद्धांत 7	बैंक के पास निधि प्रदान करने की एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए जो निधि के स्रोत और अवधि में प्रभावी विविधता प्रदान करती है। उसे अपने चयनित निधि बाजार में निरंतर उपस्थित रहना चाहिए ताकि निधि स्रोतों में प्रभावी विविधता संभव हो सके। बैंक को प्रत्येक स्रोत से शीघ्र निधि जुटाने की अपनी क्षमता का निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। उसे निधि जुटाने की अपनी क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों की पहचान करनी चाहिए तथा उन घटकों की गहन निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि जुटाने की क्षमता का अनुमान उपयुक्त है।
सिद्धांत 8	बैंक को एक दिन के दौरान चलनिधि पोजीशनों का तथा सामान्य और दबाव की परिस्थितियों के दौरान समय पर भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों को पूरा करने के मार्ग में उत्पन्न जोखिमों का सक्रिय प्रबंधन करना चाहिए और इस प्रकार भुगतान और निपटान प्रणालियों के सुचारू परिचालन में योगदान देना चाहिए।
सिद्धांत 9	बैंक को भारग्रस्त व अभारग्रस्त आस्तियों में भेद करते हुए अपने संपार्श्विक पोजीशनों का सक्रिय प्रबंधन करना चाहिए। बैंक को उस विधिक व्यक्ति/संस्था और स्थान का मुआयना करना चाहिए जहां संपार्श्विक रखा गया है तथा इस बात का आकलन करना चाहिए कि

	उसे समय पर कैसे जुटाया जा सकता है।
सिद्धांत 10	बैंक को संभावित चलनिधि दबाव के स्रोतों की पहचान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के वर्तमान एक्सपोजर बैंक की स्थापित चलनिधि जोखिम सहनशीलता के अनुसार हैं, विभिन्न प्रकार के अल्पावधिक और दीर्घावधिक, किसी खास संस्था से संबद्ध और बाजार व्यापी दबाव परिदृश्यों (अलग-अलग और साथ-साथ) के लिए नियमित आधार पर दबाव परीक्षण करते रहना चाहिए। बैंक को दबाव परीक्षण के परिणामों का उपयोग अपनी चलनिधि जोखिम प्रबंधन रणनीतियों, नीतियों और पोजीशनों को परिवर्तित करने तथा प्रभावी आकस्मिकता योजना बनाने में करना चाहिए।
सिद्धांत 11	बैंक के पास एक आधिकारिक आकस्मिकता निधीयन योजना (सीएफपी) होनी चाहिए जिसमें संकटकालीन परिस्थितियों में चलनिधि की कमी को पूरा करने के लिए स्पष्ट रणनीति दी गयी हो। सीएफपी में दबाव के वातावरण के प्रबंधन की नीति की रूपरेखा दी जानी चाहिए, उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए, निधि मांगने और निधि में वृद्धि करने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए तथा इसका नियमित परीक्षण और अद्यतन करते रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि उसका परिचालन सर्वोत्तम रीति से हो रहा है।
सिद्धांत 12	बैंक को चलनिधि पर दबाव के कई परिदृश्यों के लिए बीमा के रूप में रखने के लिए अभारग्रस्त, उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्ति रखनी चाहिए। इन परिदृश्यों में ऐसे परिदृश्य भी शामिल हैं जिनमें गैर-जमानती और सामान्य रूप से उपलब्ध जमानती निधि स्रोतों की हानि या क्षति होती है। निधि प्राप्त करने के लिए इन आस्तियों के प्रयोग के मार्ग में कोई विधिक, विनियामक या परिचालनात्म्क बाधा नहीं होनी चाहिए।
सार्वजनिक प्रकटीकरण	
सिद्धांत 13	बैंक को नियमित रूप से ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकट करनी चाहिए जो बाजार प्रतिभागियों को चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की सुदृढ़ता और चलनिधि स्थिति के संबंध में सुविचारित निर्णय लेने में समर्थ करे।

अतः एक सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंध प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होगाः

i) बैंक को एक सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित करना चाहिए।

ii) बैंक के निदेशक मंडल को चलनिधि जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से अपनी कारोबारी रणनीति तथा वित्तीय प्रणाली में उसकी भूमिका के लिए एक चलनिधि जोखिम सहनशीलता निर्धारित करनी चाहिए।

iii) निदेशक मंडल को इस जोखिम सहनशीलता के अनुरूप चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने के लिए रणनीति, नीति और प्रथाएं विकसित करनी चाहिए। निदेशक मंडल को कम-से-कम वर्ष में एक बार इस रणनीति, नीति और प्रथाओं की समीक्षा करनी चाहिए।

iv) शीर्ष प्रबंध तंत्र/आल्को को बैंक की चलनिधि स्थिति के संबंध में सूचना की निरंतर समीक्षा करनी चाहिए तथा निरंतर आधार पर निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना चाहिए।

v) बैंक के पास चलनिधि जोखिम की पहचान करने, उसकी माप करने, उसकी निगरानी और नियंत्रण करने के लिए सुदृढ़ प्रक्रिया होनी चाहिए तथा एक उपयुक्त समयावधि के दौरान आस्ति, देयताओं तथा तुलनपत्रेतर मदों से होने वाले नकदी प्रवाहों का पूरा अनुमान लगाने के लिए सुदृढ़ फ्रेमवर्क होना चाहिए।

vi) बैंक की नकदी प्रबंधन प्रक्रिया उसकी निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सामान्य परिचालनों से प्रत्याशित और अप्रत्याशित विचलन को कवर करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

vii) बैंक को सभी महत्वपूर्ण कारोबारी गतिविधियों के लिए आंतरिक मूल्य निर्धारण, कार्य निष्पादन माप और नये उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया में चलनिधि लागत, लाभ और जोखिम को शामिल करना चाहिए।

viii) बैंक को चलनिधि की अंतरणीयता के संबंध में विधिक, विनियामक और परिचालनात्मक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विधिक हस्तियों, कारोबारी क्षेत्रों और मुद्राओं के बीच में चलनिधि जोखिम एक्सपोजर और निधीयन आवश्यकताओं की निगरानी और प्रबंधन करना चाहिए।

ix) बैंक को एक निधीयन रणनीति स्थापित करनी चाहिए जो निधि के स्रोत और अवधि में प्रभावी विविधता प्रदान करे। बैंक को अपने चुने निधीयन बाजार और काउंटरपार्टियों के साथ निरंतर उपस्थिति बनाये रखनी चाहिए तथा इस संबंध में रुकावटों को दूर करना चाहिए।

x) वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार संपर्क उपयुक्त स्टाफ द्वारा सक्रिय रूप से प्रबंधित हो रहा है, उसकी निगरानी और परीक्षण किया जा रहा है।

xi) बैंक को निधीयन के वैकल्पिक स्रोतों का भी प्रबंध करना चाहिए जो अनेक प्रकार के बाजार व्यापी और बैंक विशिष्ट चलनिधि आघातों को झेलने की उसकी क्षमता को मजबूत बनायेंगे।

xii) बैंक को एक दिन के भीतर चलनिधि पोजीशनों और जोखिमों का सक्रिय प्रबंधन करना चाहिए।

xiii) बैंक को अपनी संपार्श्विक स्थितियों का सक्रिय प्रबंधन करना चाहिए।

xiv) बैंक को अल्पावधिक और दीर्घावधिक संस्था विशिष्ट और बाजार व्यापी दबाव परिदृश्यों के लिए निरंतर आधार पर दबाव परीक्षण करना चाहिए तथा परीक्षण परिणामों का उपयोग अपनी चलनिधि जोखिम प्रबंधन रणनीतियों, नीतियों और पोजीशन को समायोजित करने और प्रभावी आकस्मिकता योजनाएं बनाने में करना चाहिए।

xv) बैंकों के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को शीघ्र सचेतक संकेतों और घटनाओं की शुरुआत करनेवाले प्रेरक घटकों का उपयोग कर संभावित चलनिधि दबाव वाली घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। शीघ्र सचेतक संकेतों में बैंक के स्वामित्व वाली किसी आस्ति श्रेणी के संबंध में नकारात्मक प्रचार, बैंक की वित्तीय स्थिति में गिरावट की बढ़ती संभावना, बढ़ता ऋण या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप स्प्रेड और तुलनपत्रेतर मदों के निधीयन के संबंध में बढ़ती चिंता शामिल हैं, हालांकि ये संकेत केवल इन्हीं घटकों तक सीमित नहीं हैं।

xvi) प्रतिष्ठा हानि से फैलने वाले कुप्रभाव की संभावना को कम करने के लिए चलनिधि समस्या उत्पन्न होने पर बैंक के पास काउंटरपार्टियों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों तथा अन्य स्टेक धारकों के साथ प्रभावी संवाद की प्रणाली होनी चाहिए।

xvii) बैंक के पास एक आधिकारिक आकस्मिकता निधीयन योजना (सीएफपी) होनी चाहिए जिसमें संकटकालीन परिस्थितियों में चलनिधि के अभाव का समाधान करने की रणनीति स्पष्टता से वर्णित हो। सीएफपी में अनेक प्रकार की दबाव की परिस्थितियों को प्रबंधित करने की नीतियों का वर्णन, उत्तरदायित्व की स्पष्ट स्थापना और स्पष्ट कार्यान्वयन और उसमें वृद्धि की प्रक्रिया का वर्णन होना चाहिए।

xviii) बैंक के पास भारग्रस्ततारहित उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों का समर्थन रहना चाहिए जिन्हें चलनिधि की दबाव की अनेक प्रकार की परिस्थितियों के लिए बीमा के रूप में रखा जाना चाहिए।

xix) बैंक को नियमित आधार पर अपनी चलनिधि संबंधी सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकट करनी चाहिए ताकि बाजार प्रतिभागी बैंक के चलनिधि जोखिम प्रबंध की सुदृढ़ता और चलनिधि पोजीशन के संबंध में सुविचारित निर्णय ले सकें।

बैंक के चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे और उस संबंध में दिये गये मार्गदर्शन निम्नानुसार हैं:

चलनिधि जोखिम प्रबंधन का प्रशासन

4. रिज़र्व बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के संबंध में फरवरी1999 और अक्तूबर 2007 में दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चलनिधि जोखिम प्रबंध प्रणाली भी शामिल है। किसी भी जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया बैंक के शीर्ष प्रबंध तंत्र से आरंभ होनी चाहिए। उसे यह साबित करना चाहिए कि मूल परिचालनों और महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया को जोखिम प्रबंधन के साथ एकीकृत करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। आदर्श स्थिति में चलनिधि जोखिम प्रबंध की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार होनी चाहिएः

* निदेशक मंडल
* जोखिम प्रबंधन समिति
* आस्ति देयता प्रबंध समिति (आलको)
* आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) समर्थन समूह

5. निदेशक मंडल को चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। बोर्ड को पैरा 14 में वर्णित चलनिधि जोखिम सहनशीलता/सीमा के अनुसार चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने के लिए रणनीति, नीति और प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए। जोखिम सहनशीलता प्रबंधन के सभी स्तरों पर स्पष्ट रूप से समझी जानी चाहिए। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह बैंक के चलनिधि जोखिम की प्रकृति को समझता है, जिसमें सभी शाखाओं, सहायक कंपनियों और सहयोगियों (देशी और विदेश स्थिति दोनों) का चलनिधि जोखिम प्रोफाइल शामिल है। बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस समझ को कायम रखने के लिए आवश्यक सूचना की समीक्षा करता है, बैंक के चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने के लिए कार्यपालक स्तर पर प्राधिकार और दायित्व निर्धारित करता है, चलनिधि जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रबंध तंत्र के कर्तव्यों को लागू करता है तथा आकस्मिक निधीयन योजना बनाता है/समीक्षा करता है।

6. बोर्ड को रिपोर्ट करनेवाली जोखिम प्रबंधन समिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)/अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख सदस्य

होंगे। इस समिति को चलनिधि जोखिम सहित बैंक के समक्ष समग्र जोखिम का आकलन करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम की संभावित क्रिया-प्रतिक्रिया को जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा विचार किये जाने वाले जोखिमों में शामिल किया जाना चाहिए।

7. बैंक के शीर्ष प्रबंधतंत्र से बनी आस्ति-देयता प्रबंध समिति को बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता/सीमा के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा उसे बैंक के निर्धारित जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुसार बैंक की जोखिम प्रबंधन रणनीति को लागू करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

8. उच्च प्रबंध तंत्र की प्रतिबद्धता और बाजार गत्यात्मकता के प्रति सामयिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक को इस समिति की अध्यक्षता करनी चाहिए। निवेश, ऋण, संसाधन प्रबंध अथवा योजना, निधि प्रबंध/ट्रेजरी (विदेशी मुद्रा और देशी), अंतर राष्ट्रीय बैंकिंग और आर्थिक अनुसंधान के प्रमुख इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा, एमआइएस बनाने और उससे जुड़े कंप्यूटरीकरण के लिए प्रौद्योगिकी प्रभाग के प्रमुख को भी आमंत्रित सदस्य बनाना चाहिए। कुछ बैंक उप-समिति और सहायक समूह भी रख सकते हैं। आस्ति देयता प्रबंधन समिति का आकार (सदस्यों की संख्या) प्रत्येक संस्था के आकार, उसके कारोबार की विविधता और संगठन की जटिलता पर निर्भर करेगा।

9. चलनिधि जोखिम के संबंध में एएलसीओ की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:

i. वांछित परिपक्वता प्रोफाइल तथा वृद्धिशील परिसंपत्तियों एवं देयताओं के मिश्र के संबंध में निर्णय लेना।

ii. देयताओं के स्रोत एवं मिश्र या परिसंपत्त्यिों की बिक्री के संबंध में निर्धारण करना। इस उद्देश्य के लिए, समिति को ब्याज दर की गति की भावी दिशा पर दृष्टिकोण विकसित करना होगा तथा स्थिर बनाम अस्थिर दर निधियों, थोक बनाम खुदरा जमा, मुद्रा बाजार बनाम पूंजी बाजार फंडिंग, घरेलू बनाम विदेशी मुद्रा फंडिंग इत्यादि के बीच फंडिंग मिश्रों के संबंध में निर्णय लेना होगा। एएलसीओ को बैंक की परिसंपत्तियों तथा फंडिंग स्रोतों के गठन, विशिष्टताओं और विविधीकरण के बारे में जागरुक रहना चाहिए और उन्हें घरेलू या बाह्य परिस्थितियों में होने वाले किसी बदलाव के मद्देनजर वित्तपोषण की रणनीति की निरंतर समीक्षा करनी चाहिए।

iii. चलनिधि जोखिमों के प्रबंधन के लिए सभी शाखाओं और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों जिसमें बैंक सक्रिय है जैसी विधिक हस्तियों की चलनिधि स्थितियों की

निगरानी करने हेतु संरचना, दायित्वों एवं नियंत्रणों का निर्धारण करना तथा बैंक की चलनिधि नीति में इन तत्वों की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना।

iv. कुशल एवं अनुभवी अधिकारियों के समुचित समर्थन से चलनिधि प्रबंधन कार्य की परिचालनात्मक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।

v. नकदी प्रवाह अनुमानों एवं प्रयोग किए गए पूर्वानुमानों की गणना में प्रयुक्त अवधारणाओं की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

vi. दबाव परीक्षण के परिणामों एवं अवधारणाओं सहित दबाव परीक्षण के परिदृश्यों की समीक्षा करना तथा अच्छी तरह प्रलेखित आकस्मिक वित्तपोषण योजना की स्थापना सुनिश्चित करना जिसकी नियमित अंतराल पर समीक्षा होनी चाहिए।

vii. बैंक की अंतरण मूल्य नीति तय करना तथा चलनिधि लागतों एवं लाभों को बैंक के रणनीति योजना निर्माण का अभिन्न हिस्सा बनाना।

viii. बैंक के चलनिधि जोखिम प्रोफाइल के संबंध में निदेशक मंडल तथा जोखिम प्रबंधन समिति को नियमित आधार पर रिपोर्ट करते रहना।

10. एएलसीओ को चलनिधि जोखिम के निधीयन तथा बाजार चलनिधि जोखिम के बीच निकट संबंधों की गहरी समझ होनी चाहिए तथा इसके साथ-साथ इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि क्रेडिट, बाजार, परिचालनात्मक तथा प्रतिष्ठा जोखिम सहित अन्य जोखिम बैंक की समग्र चलनिधि जोखिम रणनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। चलनिधि जोखिम बहुधा आभासी या वास्तविक कमजोरियों से या अन्य प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन में चूक करने से उत्पन्न हो सकते हैं। अतः बैंक को उन घटनाओं की पहचान कर लेनी चाहिए जो बैंक की मजबूती और प्रतिष्ठा के संबंध में बाजार और जनता में बैंक की छवि को प्रभावित कर सकता है।

11. परिचालन स्टाफ वाले आस्ति-देयता प्रबंधन समर्थन समूह के पास चलनिधि जोखिम प्रोफाइल का विश्लेषण तथा निगरानी तथा उसे एएलसीओ को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। उक्त समूह को बाजार स्थितियों में होने वाले विभिन्न संभाव्य परिवर्तनों से बैंक की चलनिधि स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शानेवाले पूर्वानुमान (सिम्यूलेशन्स) तैयार करने होंगे और चलनिधि स्थिति बनाए रखने/बैंक की आंतरिक सीमाओं का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी बतानी चाहिए।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति,कार्यनीतियां तथा प्रथाएं

12. चलनिधि प्रबंधन की ओर पहला कदम है एक प्रभावी चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चलनिधि जोखिम सहने की क्षमता, निधियन कार्यनीतियां, विवेकपूर्ण

सीमाएं, चलनिधि के मापन, मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग/समीक्षा की प्रणाली, दबाव परीक्षण के लिए ढांचा, वैकल्पिक परिदृश्यों/औपचारिक आकस्मिकता निधियन योजना के अंतर्गत चलनिधि आयोजन, प्रबंधन रिपोर्टिंग का स्वरूप तथा बारंबारता, चलनिधि अनुमानों में प्रयुक्त धारणाओं की आवधिक समीक्षा आदि को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। आवश्यक तथा उचित होने पर नीति में अलग-अलग मुद्राओं, अनुषंगी, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी जैसी विधिक हस्तियों तथा कारोबारी क्षेत्रों के लिए अपेक्षित चलनिधि पर अलग से प्रकाश डाला जाना चाहिए और विनियामक, विधिक तथा परिचालनात्मक बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए चलनिधि के अंतरण पर सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए।

13. निदेशक मंडल अथवा बोर्ड के सदस्यों की प्रत्यायोजित समिति को चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों, कार्यनीतियों तथा क्रियाविधियों के स्थापन तथा अनुमोदन का निरीक्षण करना चाहिए और उसकी कम-से-कम वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए।

चलनिधि जोखिम सहनशीलता

14. बैंकों में निदेशक मंडल को जोखिम सहनशीलता को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। जोखिम सहनशीलता को यह परिभाषित करना चाहिए कि बैंक किस स्तर तक चलनिधि जोखिम उठाने के लिए तैयार है और इसमें बैंक की वित्तीय स्थिति तथा निधीयन क्षमता प्रतिबिंबित होनी चाहिए। जोखिम सहनशीलता ऐसी होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक सामान्य समय में अपनी चलनिधि का प्रबंधन इस तरह करता है कि वह संस्था विशेष तथा बाजार व्यापी दबाव दोनों परिस्थितियों को दीर्घावधि तक सामना कर सकता है। बैंक द्वारा व्यक्त की गई जोखिम सहनशीलता उसकी संमिश्रता/जटिलता, विभिन्न कारोबारों, चलनिधि जोखिम प्रोफाइल तथा प्रणालीगत महत्व के अनुसार स्पष्ट, व्यापक तथा उपयुक्त होनी चाहिए। वह संवेदनशीलता विश्लेषण के अधीन भी होनी चाहिए। जोखिम सहनशीलता बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल के आधार पर फ्लो दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न परिपक्वताओं के लिए तथा स्टॉक दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न अनुपातों के लिए स्तर का निर्धारण कर निर्दिष्ट किया जा सकता है। जोखिम सहनशीलता की बैंक की विशिष्ट संवेदनशीलताओं को दर्शाने के लिए चयनित तीव्र लेकिन सत्य सदृश्य विभिन्न दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत टिके रहने की न्यूनतम सीमाओं (केंद्रीय बैंक अथवा सरकार के हस्तक्षेप के बिना) के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस संबंध में प्रमुख धारणाओं की बोर्ड द्वारा आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए कार्यानीति

15. चलनिधि जोखिम के प्रबंधन की कार्यनीति बैंक की गतिविधियों के स्वरूप, श्रेणी तथा जटिलता के उपयुक्त होनी चाहिए। कार्यनीति बनाते समय, बैंक/बैंकिंग समूहों के अपने विधिक ढांचे, मुख्य कारोबारी क्षेत्र, वे जिन बाजारों उत्पादों तथा क्षेत्राधिकार में परिचालन करते हैं उनके विस्तार तथा विविधता तथा

स्वदेश तथा मेजबान देश की विनियामक अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यनीतियों को दैनंदिन परिचालनगत नकदी आउटफ्लो तथा अपेक्षित तथा अनपेक्षित नकदी प्रवाह उतार-चढ़ावों को पूर्ण करने के लिए निधीयन के प्राथमिक स्रोतों को निर्धारित करना चाहिए।

चलनिधि जोखिम प्रबंधन

16. बैंक में चलनिधि जोखिम के निर्धारण, मापन, निगरानी तथा उसे कम करने की निम्नानुसार स्वस्थ प्रक्रिया स्थापित होनी चाहिएः

पहचान

17. बैंक को प्रत्येक मुख्य तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेतर पोजीशन, जिसमें उसमें निहित विकल्पों तथा बैंक की निधियों के स्रोतों तथा उपयोगों को प्रभावित करने वाले आकस्मिक एक्सपोजर का प्रभाव शामिल है के कारण तथा बैंक जिन सभी मुद्राओं में सक्रिय है, उनके कारण बैंक को होने वाले चलनिधि जोखिम को परिभाषित तथा निर्धारित करना चाहिए।

माप-प्रवाह विधि

18. चलनिधि की माप स्टॉक तथा प्रवाह विधि के माध्यम से की जा सकती है। प्रवाह विधि माप में नकदी प्रवाह असंतुलनों की व्यापक खोज शामिल है। निधीयन की निवल अपेक्षाओं की माप तथा प्रबंधन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित फार्मेट अर्थात् विभिन्न टाइम बैण्ड्स पर नकदी प्रवाह असंतुलनों की माप के लिए एएलएम प्रणाली के अंतर्गत संरचनात्मक चलनिधि का विवरण अपनाया जाना चाहिए। नकदी प्रवाहों को नकदी प्रवाहों की अवशिष्ट परिपक्वता अथवा आस्तियों, देयताओं तथा तुलन पत्रेतर मदों की अनुमानित भावी प्रगति के आधार पर विभिन्न टाइम बैण्डों में रखा जाए। अतः प्रत्येक समयावधि में नकदी अंतर्वाहों तथा बहिर्वाहों के बीच का अंतर समय बिंदुओं की किसी श्रृंखला पर बैंक के भावी चलनिधि अधिशेष अथवा कमी की माप के लिए प्रारंभिक बिंदु हो जाता है।

19. वर्तमान में बैंकों को दैनिक आधार पर देशी संरचनात्मक चलनिधि विवरण (रुपया) तैयार करना होता है और पाक्षिक आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना होता है। साथ ही, विदेशी परिचालनों से संबंधित संरचनात्मक चलनिधि विवरणों को भी पाक्षिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। संरचनात्मक चलनिधि विवरण को संशोधित किया गया है और विवरण के संशोधित फॉर्मेट तथा समय अवधियों में बैंक के भावी नकदी प्रवाहों को निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन क्रमशः **परिशिष्ट II (देखें चलनिधि विवरणी, भाग क1)** तथा **परिशिष्ट IVक** के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। संरचनात्मक चलनिधि विवरणोंके संशोधित फॉर्मेट में पांच भाग हैं जैसे, (i) 'देशी मुद्रा – भारतीय परिचालन', (ii) 'विदेशी मुद्रा –भारतीय परिचालन', (iii) 'संयुक्त भारतीय परिचालन – देशी तथा विदेशी मुद्रा' अर्थात् एकल बैंक स्तर, (iv) 'विदेशी शाखा परिचालन – देश-वार' तथा (v) 'समेकित बैंक परिचालनों के लिए।

20. बैंक की आस्ति-देयता प्रोफाइल, स्थिर जमा आधार के विस्तार, नकदी प्रवाहों के स्वरूप,विनियामक विधियों आदि के आधार पर बैंक के शीर्ष प्रबंध तंत्र द्वारा विभिन्न परिपक्वताओं के लिए जोखिम सहनशीलता का स्तर/विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की जाएं। कम अवधि जैसे 28 दिन तक, के अंतरालों में नकदी प्रवाहों के असंतुलनों के मामले में बैंक के प्रबंध तंत्र को नकदी प्रवाह असंतुलनों को न्यूनतम स्तरों पर रखने के प्रयास करने चाहिए।

21. बैंकों को धारणाओं तथा समय श्रृंखला विश्लेषण द्वारा समर्थित प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर तुलन पत्र/तुलनपत्रेतर मदों के विभिन्न घटकों की व्यवहार्य परिपक्वता/प्रोफाइल का विश्लेषण करना चाहिए। व्यवहार संबंधी विश्लेषण में उदाहरण के लिए बैंक जिनका पुनर्निर्धारण अथवा नवीकरण कर सकता है ऐसी परिपक्व होने वाली आस्तियों तथा देयताओं का अनुपात, परिपक्वता की कोई स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट तिथियां न होने वाली आस्तियों तथा देयताओं का व्यवहार, ऋण प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आहरण द्वारा हुई कमी सहित तुलनपत्रेतर गतिविधियों से संभाव्य नकदी प्रवाह, आकस्मिक देयताएं तथा बाजार संबंधी लेनदेन शामिल हो सकते हैं। बैंक को व्यवहार विश्लेषण में प्रयुक्त धारणाओं के वैधीकरण के लिए छः महीने में कम-से-कम एक बार भिन्नता विश्लेषण कर लेना चाहिए। धारणाओं को धीरे-धीरे इतना सही बनाया जाए कि उनसे तुलन पत्र की/तुलनपत्रेतर मदों के भावी व्यवहार के बारे में ऐसे अनुमान किए जा सकेंगे जो वास्तविकता के करीब हैं।

22. बैंकों को ऋणों की समयपूर्व अदायगी, जमाराशियों की समयपूर्व समाप्ति तथा निर्दिष्ट अवधियों के पश्चात् क्रय/विक्रय विकल्प प्रदान करनेवाले कुछ लिखतों में निहित विकल्पों के निष्पादन के प्रभाव का भी ध्यान रखना चाहिए। अतः नकदी प्रवाहों को देयताएं देय होने की तारीख, देयता धारी द्वारा पूर्व चुकौती के विकल्प को निष्पादित कर पाने की सबसे पहली तिथि, अथवा आकस्मिकताएं उत्पन्न होने की सबसे पहली तारीख के अनुसार क्रमित किए जा सकते हैं।

23. चूंकि नकदी प्रवाहों के पूर्वानुमानों तथा चलनिधि जोखिम की माप में अवधारणाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए प्रयुक्त अवधारणाएं तर्कसंगत, उचित तथा पर्याप्त रूप से प्रलेखित होनी चाहिए। वे बोर्ड/जोखिम प्रबंधन समिति के लिए पारदर्शी होनी चाहिए और उनकी आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

माप-स्टॉक विधि

24. चलनिधि जोखिम प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुपात तथा बैंकों के लिए उनका महत्व नीचे **सारणी 1** में दिया गया है। बैंक इन अनुपातों की निगरानी इन अनुपातों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक रूप से परिभाषित सीमा निर्धारित करके कर सकते हैं। बैंकों की जानकारी के लिए इन अनुपातों

के इंडस्ट्री औसत[1] दिए गए हैं। वे अपनी चलनिधि जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, अनुभव तथा प्रोफाइल के आधार पर अपनी स्वयं की सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। स्टॉक अनुपात एकल बैंक स्तर पर चलनिधि जोखिम की निगरानी करने के लिए होते हैं। बैंक इन अनुपातों का एकल बैंक स्तर पर मुख्य मुद्राओं अर्थात् अमरीकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो तथा जापानी येन में चलनिधि जोखिम की निगरानी के लिए उपयोग कर सकते हैं।

सारणी 1

क्र. सं.	अनुपात	महत्व	उद्योग औसत (प्रतिशत में)
1	**(अस्थिर देयताएं[2] – अस्थायी आस्तियां[3])/(अर्जक आस्तियां[4] – अस्थायी आस्तियां)**	बैंक की मूल अर्जक आस्तियों का समर्थन अस्थिर मुद्रा द्वारा किस हद तक किया जाता है – इसकी माप। चूंकि अंश अल्पावधि ब्याज संवेदनशील निधियों का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए एक बड़ी तथा धनात्मक संख्या का तात्पर्य है अतरलता का थोड़ा बहुत जोखिम।	40
2	**स्थायी जमाराशियां[5] /कुल आस्तियां**	स्थिर जमाराशि आधार के माध्यम से आस्तियों का निधियन करने की सीमा की माप।	50
3	**(ऋण+अनिवार्य एसएलआर+ अनिवार्य सीआरआर+अचल आस्तियां)/कुल आस्तियां**	अनिवार्य नकद आरक्षित निधियों तथा सांविधिक चलनिधि निवेशों सहित ऋण सबसे कम तरल होते हैं और इसलिए उच्च अनुपात तुलन पत्र में निहित 'अतरलता' के दर्जे का द्योतक है।	80
4	**(ऋण+अनिवार्य एसएलआर+ अनिवार्य सीआरआर+अचल आस्तियां)/मुख्य जमाराशियां**	मुख्य जमाराशियों द्वारा वित्तपोषित अतरल आस्तियों की सीमा की माप।	150
5	**अस्थिर आस्तियां/कुल आस्तियां**	उपलब्ध तरल आस्तियों की सीमा की माप। उच्चतर अनुपात बैंकिंग प्रणाली के आस्ति प्रयोग पर चलनिधि धारण करने की अवसर लागत के रूप में अतिक्रमण कर सकता है।	40

[1] बैंकिंग प्रणाली के लिए उद्योग औसत 4 से 5 वर्ष के औसत के आधार पर दिया जाता है (देशी परिचालन के आंकड़े प्रयुक्त – वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन रिपोर्ट 2009 पर गठित समिति)

[2] **अस्थिर देयताएं:** (जमा + 1 वर्ष तक देय तथा उधार)। साख पत्र – पूर्ण बकाया शेष। अन्य आकस्मिक ऋण तथा प्रतिबद्धताओं का घटक-वार – ऋण परिवर्तन घटक। एक वर्ष तक के स्वैप फंड (क्रय/विक्रय) बैंक ने जिन चालू जमाराशियों (सीए) तथा बचत जमाराशियों (एसए) अर्थात् (सीएएसए) को एक वर्ष के भीतर देय बताया है (संरचनात्म्क चलनिधि विवरण में रिपोर्ट किए गए अनुसार) को अस्थिर देयताओं में शामिल किया जाता है। उधार में भारतीय रिज़र्व बैंक, मांगे गए, अन्य संस्थाओं से तथा उधार तथा पुनर्वित्त शामिल है।

[3] **अस्थायी आस्तियां** = नकद + भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अतिरिक्त सीआरआर शेष+ बैंकों के पास शेष+1 वर्ष तक खरीदे/भुनाए गए बिल+1 वर्ष तक के निवेश+1 वर्ष तक की स्वैप निधियां।

[4] **अर्जक आस्तियां** = कुल आस्तियां – (अचल आस्तियां+अन्य बैंकों में चालू खातों में शेष राशियां+पट्टे को छोड़कर अन्य आस्तियां+अमूर्त आस्तियां)

[5] मुख्य जमाराशियां = 1 वर्ष से अधिक् अवधि वाली सभी जमाराशियां (सीएएसए सहित) (संरचनात्म्क चलनिधि विवरण में रिपोर्ट किए गए अनुसार) +निवल मालियत

6	**अस्थायीआस्तियां/अस्थिर देयताएं**	अस्थिर देयताओं के अनुपात में तरल निवेशों के कवर का मापन करता है। 1 से कम का अनुपात चलनिधि समस्या की संभावना दर्शाता है।	60
7	**अस्थिर देयताएं/कुल आस्तियां**	अस्थिर देयताओं द्वारा तुलन पत्र के विधियन की सीमा का मापन करता है।	60

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उपर्युक्त स्टॉक अनुपात केवल निदर्शी हैं और बैंक अन्य परिमाण/अनुपात का भी प्रयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए अस्थिर देयताओं तथा तरल आस्ति कवरेज अनुपातों का निर्धारण करने के लिए बैंक कुल देयताओं की तुलना में थोक निधीयन, कुल जमाराशियों की तुलना में संभवतः अस्थिर खुदरा (उदाहरण उच्च लागत अथवा आउट ऑफ मार्केट) जमाराशियों तथा अन्य देयता निर्भरता उपायों जैसे कुल निधीयन के प्रतिशत के रूप में अल्पावधि उधार के अनुपात शामिल कर सकते हैं

निगरानी

25. संरचनात्मक चलनिधि विवरण में एक वर्ष तक की विसंगतियां प्रासंगिक होंगी क्योंकि ये आने वाली चलनिधि समस्याओं के लिए आरंभिक सचेतक संकेत का कार्य करती हैं, लेकिन अल्पकालिक विसंगतियों पर, उदाहरण के लिए 28 दिन तक की विसंगतियों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए तथापि, बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे बोर्ड/जोखिम प्रबंधन समिति के अनुमोदन से आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर सभी समय अवधियों में अपनी संचयी विसंगतियों (लगातार जोड़) की निगरानी करते रहें देशी और विदेश स्थित संरचनात्मक चलनिधि विवरण (देखें परिशिष्ट II - चलनिधि विवरणी का भाग क1 और भाग ख) में अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन और 15-28 दिन के दौरान निवल संचयी विसंगतियां संबंधित समय-अवधि के संचयी नकदी बहिर्गम के 5%, 10%,15%, 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए बैंक समेकित बैंक परिचालनों के लिए अपने संरचनात्मक चलनिधि विवरण के लिए भी उपर्युक्त संचयी विसंगति सीमाओं को अपना सकते हैं

26. 1-90 दिनों की समयावधि के दौरान गत्यात्मक आधार पर अपनी अल्पावधिक चलनिधि की निगरानी करने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे एएलएम प्रणाली में संशोधनों पर जारी 24 अक्तूबर 2007 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.38/21.04.098/2007-08 के साथ पठित 10 फरवरी 1999 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 8/21.04.098/99 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अल्पावधिक गत्यात्मक चलनिधि का आकलन करने के लिए उदाहरण के रूप में दिये गये फार्मेट के अनुसार योजना के प्रयोजन से कारोबारी अनुमान और अन्य प्रतिबद्धताओं के आधार पर अपना अल्पावधिक चलनिधि प्रोफाइल का अनुमान करें उक्त विवरण में संशोधन किया गया है तथा संशोधित फार्मेट परिशिष्ट III में दिया गया है इसमें बैंक के देशी और विदेश स्थित शाखाओं के परिचालन (क्षेत्र-वार और समग्र) शामिल हैं गत्यात्मक रूप से चलनिधि प्रोफाइल का आकलन करते समय, निम्नलिखित को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए:

(i) जमाराशि/ऋण का मौसमी स्वरूप और

(ii) नयी ऋण मांग, नहीं ली गयी ऋण सीमाओं, आकस्मिक देयताओं की उत्पत्ति, संभावित जमा हानि, निवेश दायित्व, सांविधिक दायित्व आदि को पूरा करने के लिए संभावित चलनिधि आवश्यकताएं

चलनिधि मानकों की निगरानी

27. बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बैंकों के देयता पक्ष में संकेंद्रण को कम करने के लिए निर्धारित निम्नलिखित विनियामक सीमाओं का पालन करें

अंतर-बैंक देयता (आईबीएल) सीमा

(i) संप्रति, किसी बैंक का आईबीएल पिछले वर्ष के 31 मार्च को उसकी निवल मालियत के 200% से अधिक नहीं होना चाहिए तथापि, अलग-अलग बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने कारोबार मोडल को ध्यान में रखते हुए अपनी अंतर-बैंक देयताओं के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं जिन बैंकों का पिछले वर्ष 31 मार्च को जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम सीआरएआर (9%) से कम-से-कम 25% अधिक है अर्थात् 11.25% है, तो उन्हें आईबीएल के लिए निवल मालियत की 300% की उच्चतर सीमा की अनुमति दी जाती है ऊपर निर्धारित सीमा में केवल भारत के भीतर निधि आधारित आईबीएल है (इसमें भारत में कारोबार करने वाले बैंकों के प्रति विदेशी मुद्रा में अंतर-बैंक देयताएं शामिल हैं) दूसरे शब्दों में भारत के बाहर का आईबीएल शामिल नहीं है उपर्युक्त सीमाओं में संपार्श्विकीकृत उधार और ऋण बाध्यता (सीबीएलओ) के अंतर्गत संपार्श्विकीकृत उधार और नाबार्ड, सिडबी आदि के अंतर्गत पुनर्वित्त शामिल नहीं है

(ii) कॉल मनी उधार सीमा

कॉल/नोटिस मनी बाजार परिचालनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मांग मुद्रा उधार की सीमा उपर्युक्त आईबीएल सीमा के भीतर उप-सीमा के रूप में रहेगी वर्तमान में, पाक्षिक औसत के आधार पर, ऐसे उधार बैंक की पूंजी निधि के 100% से अधिक नहीं होना चाहिए तथापि, बैंकों को एक पखवाड़े के दौरान किसी भी दिन अपनी पूंजी निधि के अधिकतम 125% तक उधार लेने की अनुमति है

(iii) कॉल मनी ऋण सीमा

बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे कॉल/नोटिस मनी बाजार परिचालनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कॉल मनी ऋण सीमा का पालन करें, जो वर्तमान में पाक्षिक आधार पर बैंक की पूंजी निधि के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए तथापि बैंकों को अनुमति है कि

वे एक पखवाड़े के दौरान किसी दिन अपनी पूंजी निधि के अधिकतम 50% तक ऋण दे सकते हैं

28. थोक जमा के उच्च संकेंद्रण वाले बैंकों से (इस प्रयोजन के लिए थोक जमा 15 लाख रुपये या उससे उच्चतर राशि होगी जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हो) यह अपेक्षित है कि वे ऐसी जमाराशियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण उत्पन्न चलनिधि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त नीति बनायें बैंकों को उच्च राशि की जमाराशि (अंतर बैंक जमाराशि को छोड़कर), उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि, की निगरानी की प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए, ताकि सामान्य और दबाव जन्य परिस्थितियों में अस्थिर देयताओं पर नजर रखी जा सके

तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र और आकस्मिक देयताएं

29. विशेष प्रयोजन संस्थाओं, वित्तीय डेरिवेटिव तथा गारंटी और प्रतिबद्धताओं के कारण होने वाले कतिपय तुलनपत्रेतर एक्सपोजर से संबंधित चलिनधि जोखिम के प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि दबाव के समय उपस्थित हो सकने वाले संबंधित चलनिधि जोखिमों का आकलन करने में बैंकों को कठिनाई हो सकती है अतः, सामान्य परिस्थिति में आकस्मिक देयताओं के कारण होने वाले नकदी प्रवाह तथा दबाव के समय नकदी प्रवाह में वृद्धि की संभावना का भी आकलन और निगरानी होनी चाहिए आकस्मिक निधीयन जोखिम की माप करने की बैंक की प्रक्रिया में बैंक के संभावित गैर-संविदात्मक बाध्यताओं की प्रकृति और आकार पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बाध्यताओं से दबाव के समय संबंधित तुलनपत्रेतर माध्यमों का बैंक द्वारा समर्थन किया जा सकता है यह विशेष रूप से उन प्रतिभूतीकरण कार्यक्रमों के लिए सही है जहां बैंक निधीयन तक पहुंच को जारी रखने के लिए ऐसे समर्थन को आवश्यक मानता है। इसी प्रकार दबाव के समय प्रतिष्ठा संबंधी चिंता के कारण बैंक मुद्रा बाजार या अन्य निवेश निधियों से आस्ति खरीद सकता है, जिनका वह प्रबंधन करता है या जिन से वह अन्य प्रकार से जुड़ा हुआ है।

31. जहां कोई बैंक किसी एसपीवी को संविदात्मक चलनिधि सुविधा प्रदान करता है या जहां प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे एसपीवी की चलनिधि को समर्थन देने की आवश्यकता पड़े तो बैंक द्वारा इस बात पर विचार किये जाने की आवश्यकता है कि एसपीवी की अतरलता का बैंक की चलनिधि पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे मामलों में बैंक को अपनी चलनिधि योजना के अंग के रूप में एसपीवी के आगम (परिपक्व होने वाली आस्तियां) और बर्हिगम (परिपक्व होने वाली देयताएं) पर निगरानी रखनी चाहिए तथा उन्हें दबाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषणों में भी शामिल करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, बैंक को एसपीवी के निवल चलनिधि घाटे के साथ अपनी चलनिधि स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए (एसपीवी के निवल चलनिधि अधिशेष को हिसाब में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे बैंक की चलनिधि स्थिति में वृद्धि नहीं होगी) ।

32. जहां तक प्रतिभूतीकरण एसपीवी का निधीयन के स्रोत के रूप में उपयोग का संबंध है, बैंक को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ये निधीयन माध्यम प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंक के

लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रतिकूल चलनिधि स्थितियों से गुजरने वाले बैंक को अक्सर निधीयन स्रोत के रूप में प्रतिभूतीकरण बाजार तक निरंतर पहुंच नहीं रहेगी। बैंक को अपना भावी चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क तय करते समय इस पर समुचित रूप से विचार करना चाहिए।

संपार्श्विक स्थिति प्रबंधन

33. बैंक के पास विभिन्न समयावधियों के लिए तथा अपने निधीयन प्रोफाइलके अनुसार प्रत्याशित और अप्रत्याशित उधार आवश्यकताओं और मार्जिन अपेक्षाओं में संभावित वृद्धि के लिए पर्याप्त संपार्श्विक होना चाहिए। बैंक को परिचालनात्मक और चलनिधि संबंधी कठिनाइयों/रुकावटों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनसे एक दिन के भीतर अतिरिक्त संपार्श्विक देने या गिरवी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है।

34. बैंक के पास सामयिक रूप से अपनी सभी संपार्श्विक स्थितियों की गणना करने की प्रणाली और प्रक्रिया होनी चाहिए। इनमें अपेक्षित प्रतिभूति की राशि की तुलना में वर्तमान में गिरवी रखी गयी आस्तियों के मूल्य तथा गिरवी रखने के लिए उपलब्ध भारग्रस्तता रहित आस्तियों की गणना भी शामिल होनी चाहिए। बैंक को संपार्श्विक की भौगोलिक स्थिति के कारण उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक परिचालनात्मक और समय संबंधी अपेक्षाओं के बारे में सचेत रहना चाहिए।

एक दिन के भीतर चलनिधि स्थिति का प्रबंधन

35. एक दिन के भीतर की चलनिधि का प्रभावी रूप में प्रबंधन करने में बैंक की असफलता से समय पर भुगतान दायित्व पूरा करने में चूक हो सकती है, जिससे न केवल उसकी अपनी चलनिधि स्थिति बल्कि उसके काउंटरपार्टियों की चलनिधि स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। ऋण संबंधी चिंताओं या सामान्य बाजार दबाव के सामने काउंटरपार्टी भुगतान का निपटान करने में असफलता को वित्तीय कमजोरी का संकेत समझ सकते हैं और बदले में बैंक को किये जाने वाले भुगतान को रोक सकते हैं या विलंब कर सकते हैं, जिससे और चलनिधि दबाव बढ़ेगा। चूंकि विभिन्न प्रणालियों के बीच परस्पर निर्भरता रहती है, इससे ऐसा चलनिधि संकट उत्पन्न हो सकता है जो अनेक प्रणालियों और संस्थाओं में तुरंत फैल सकता है। अतः एक दिन के भीतर होने वाले चलनिधि जोखिम के प्रबंधन को बैंक के चलनिधि जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए।

36. बैंक को एक अंतर्दिवसीय चलनिधि रणनीति विकसित करनी चाहिए जो उसके प्रत्याशित दैनिक समग्र चलनिधि आगम और बहिर्गम की माप और निगरानी करने में सहायक हो। बैंक यह सुनिश्चित करे कि उसके पास एक दिन के भीतर उत्पन्न होनेवाली चलनिधि अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त निधीयन प्राप्त करने की व्यवस्था है तथा चलनिधि प्रवाह में अप्रत्याशित रुकावट का सामना करने की सामर्थ्य है। संपार्श्विक का प्रभावी प्रबंधन अंतर्दिवसीय चलनिधि रणनीति का एक अनिवार्य घटक है। इस संबंध में बैंक आरंभ में जुलाई 2012 में जारी 'अंतर्दिवसीय चलनिधि प्रबंधन के लिए संकेतकों की निगरानी' पर बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के परामर्शी दस्तावेज

(http://www.bis.org/publ/bcbs225.pdf पर उपलब्ध) से तथा बाद में जारी होनेवाले अंतिम दस्तावेज से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

37. बैंक के पास उन सभी वित्तीय बाजारों और मुद्राओं में अंतर्दिवसीय चलनिधि जोखिम प्रबंधन का समर्थन करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली होनी चाहिए, जहां उनका महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रवाह है। इनमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां वह भुगतान और निपटान गतिविधियों के संचालन हेतु प्रतिनिधियों या अभिरक्षकों पर निर्भर करता है।

38. ऊपर वर्णित अंतर्दिवसीय चलनिधि जोखिम प्रबंध अपेक्षाओं को शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। ये अपेक्षाएं बैंकों के लिए रुपया चलनिधि के मामले में 31 दिसंबर 2012 से तथा अन्य महत्वपूर्ण विदेशी मुद्राओं के मामले में 30 जून 2013 से लागू होंगी।

आंतरिक मूल्य निर्धारण में चलनिधि लागत, लाभ और जोखिम को शामिल करना

39. प्रावधान की गयी निधियों और प्रयुक्त निधियों को चालू बाजार दरों के आधार पर मूल्य प्रदान करते हुए एक वैज्ञानिक रीति से विकसित आंतरिक अंतरण मूल्य निर्धारण मॉडल चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अतः चलनिधि लागत और लाभ बैंक की रणनीति संबंधी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।

40. बैंकों को प्रयास करना चाहिए कि चलनिधि लागत और लाभ को मात्रात्मक रूप देने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की जाती है ताकि उसे सभी महत्वपूर्ण कारोबारी क्षेत्रों, उत्पादों और गतिविधियों के आंतरिक उत्पाद मूल्य निर्धारण, कार्य निष्पादन माप और नये उत्पाद अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। इससे अलग-अलग कारोबारी क्षेत्रों के चलनिधि जोखिम एक्सपोजर और बोर्ड अनुमोदित जोखिम सहनशीलता के साथ जोखिम लेने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की संगति बैठाने में मदद मिलेगी।

निधीयन रणनीति – विविध निधीयन

41. बैंकों के पास एक ऐसी निधीयन रणनीति होनी चाहिए जो निधीयन के स्रोतों और अवधि में प्रभावी विविधता प्रदान करे। उसे चुने गये निधीयन बाजारों में निरंतर मौजूदगी कायम रखनी चाहिए तथा निधि प्रदाताओं के साथ सुदृढ़ संबंध रखना चाहिए ताकि निधीयन स्रोतोंका प्रभावी विविधीकरण सुनिश्चित हो सके। बैंक को प्रत्येक स्रोत से शीघ्र निधि जुटाने की अपनी क्षमता का नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। इसे उन मुख्य घटकों की पहचान करनी चाहिए जो निधि जुटाने की उसकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। उसे इन घटकों की बारीकी से पड़ताल करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि जुटाने की क्षमता का आकलन सही है। इन घटकों को बैंक के दबाव परीक्षण परिदृश्य और आकस्मिकता निधीयन योजना में भी शामिल किया जाना चाहिए।

42. निधीयन के किसी एक स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहिए। निधीयन रणनीति में विशिष्ट बाजार परिस्थितियों में जमा निकालने की सामूहिक प्रवृत्ति के गुणात्मक आयाम को तथा विशिष्ट कारोबारी मॉडल के कारण गैर-जमाराशियों वाले निधीयन स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। निधीयन विविधता लागू करने के लिए सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं (उदाहरण के लिए अवधि, काउंटरपार्टी, जमानती बनाम गैर-जमानती बाजार, निधीयन लिखत का प्रकार, मुद्रावार, भौगोलिक बाजार-वार और प्रतिभूतीकरण आदि के रूप में) ।

आंतर समूह (समूह के भीतर) अंतरणों के कारण चलनिधि जोखिम

43. जब किसी समूह के भीतर की संस्थाएं आपस में परिचालन करती हैं तब आंतर समूह लेनदेन होते हैं। इसका मुख्य लाभ यह है कि आंतर समूह लेनदेन तथा एक्सपोजरों (आईटीई) से समूह के भीतर सामंजस्य और सहक्रियता साध्य होती है जिसके परिणामस्वरूप लागत में कमी होती है। ऐसे लेनदेन अन्य बातों के साथ-साथ चलनिधि जोखिम प्रबंधन को सुधारने तथा निधियन के प्रभावी नियंत्रण के लिए किए जा सकते हैं। जॉइंट फोरम (बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सेक्यूरिटिज कमीशन्स तथा इंटरनैशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्यूरेन्स सुपरवाईजर्स के तत्वावधान में गठित) ने आंतर समूह लेनदेन तथा एक्सपोजरों (आईटीई) पर अपने दिसंबर 1999 के पेपर में इस बात पर जोर दिया है कि आईटीई की मात्र मौजूदगी पर्यवेक्षी चिंता का विषय नहीं है। उन्हें लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए जो किसी बड़े मिश्र-समूह में विनियमित संस्थाओं के लिए लाभप्रद अथवा हानिप्रद हो सकता है। लेकिन आईटीई के कारण जोखिम में वृद्धि की संभावना को पहचानने की दृष्टि सेः

(i) वित्तीय मिश्र-समूह के प्रमुख को ऐसी चलनिधि प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा निधीयन कार्यक्रम विकसित करने और बनाए रखने चाहिए जो कि वित्तीय मिश्र-समूह की जटिलता, जोखिम प्रोफाइल तथा परिचालनों के दायरे के अनुरूप हों।

(ii) चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा निधीयन कार्यक्रमों में उधार, निवेश तथा अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय मिश्र-समूह में शीर्ष संस्था तथा प्रत्येक घटक संस्था के स्तर पर पर्याप्त चलनिधि रखी जाती है। प्रक्रियाओं तथा कार्यक्रमों में इन संस्थाओं के बीच तथा शीर्ष संस्था तथा इन संस्थाओं के बीच निधियों के अंतरण पर वास्तविक तथा संभाव्य बाध्यताओं जिनमें विधिक तथा विनियामक प्रतिबंध शामिल हैं, को पूर्णतः सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(iii) बैंकों को चलनिधि जोखिमों का प्रबंधन निम्नलिखित माध्यम से करना चाहिए: 1) प्रभावी प्रशासन और समुचित प्रबंधन पर्यवेक्षण; 2) जोखिम लेने के संबंध में पर्याप्त नीतियां,

क्रियाविधियां तथा सीमाएं; तथा 3) चलनिधि जोखिमों की माप, निगरानी, रिपोर्टिंग तथा नियंत्रण के लिए प्रबल प्रबंधन सूचना प्रणालियां।

दबाव परीक्षण

44. दबाव परीक्षण बैंकों में समग्र शासन तथा चलनिधि जोखिम संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। दबाव परीक्षण का वर्णन सामान्यतः बैंक के भीतर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए एक गंभीर लेकिन संभाव्य परिदृश्य के अंतर्गत बैंक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के रूप में किया जाता है। दबाव परीक्षण बैंक के प्रबंध तंत्र को प्रतिकूल अप्रत्याशित परिणामों से सावधान कराता है क्योंकि वह जोखिमों का भविष्यमुखी मूल्यांकन करता है और इससे बैंक को पहचान की गयी अतिसंवेदनशील मदों पर कार्रवाई करने के लिए बेहतर योजना बनाने में सुविधा होती है। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को जून 2007 में दबाव परीक्षण पर दिशानिर्देश (देखें 26 जून 2007 का बैंपविवि. संघ बीपी. बीसी. 101/21.04.103/2006-07) जारी किए हैं जिनके अनुसार बैंकों में बोर्ड अनुमोदित 'दबाव परीक्षण ढांचा' होना आवश्यक है। बैंकों को दिशानिर्देशों में दिए गए अनुसार तथा नीचे निर्दिष्ट किए गए अनुसार ढांचे की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।

परिदृश्य तथा पूर्व धारणाएं

45. बैंक को विभिन्न अल्पावधि तथा दीर्घावधिक, बैंक विशिष्ट तथा बाजार व्यापी दबाव परिदृश्यों (अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से) के लिए नियमित आधार पर दबाव परीक्षण करना चाहिए। चलनिधि दबाव परिदृश्य तैयार करते समय, बैंक के कारोबार, गतिविधियों तथा संवेदनशील मदों/कमियों को ध्यान में लिया जाना चाहिए ताकि परिदृश्य में बैंक को होने वाले मुख्य निधीयन तथा बाजार से संबंधित चलनिधि जोखिमों को सम्मिलित किया जाए। इनमें व्यावसायिक गतिविधियों, उत्पादों (संमिश्र वित्तीय लिखत तथा तुलनपत्रेतर मदों सहित) तथा निधियन स्रोतों से संबद्ध जोखिम शामिल हैं। निर्धारित परिदृश्यों में बैंक को इन तत्वों के अपनी चलनिधि स्थिति पर होने वाले संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन करने की सुविधा होनी चाहिए। ऐतिहासिक अथवा पूर्व-घटित घटनाएं मार्गदर्शक का कार्य कर सकती हैं, लेकिन दबाव परीक्षण तैयार करने में बैंक का अपना मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

46. बैंक को विनिर्दिष्ट रूप से बाजार चलनिधि के घटने तथा चलनिधि के निधीयन में कठिनाइयों के बीच के संबंध को ध्यान में रखना चाहिए। यह उन बैंकों के लिए विशेष महत्व रखता है जिनका विनिर्दिष्ट निधीयन बाजारों में महत्वपूर्ण भाग है अथवा वे उन पर अत्यधिक निर्भर हैं। बैंक को अपनी चलनिधि स्थिति का दबाव पारीक्षण करते समय अन्य जोखिमों के विभिन्न प्रकारों के लिए किए गए दबाव परीक्षणों के निष्कर्षों तथा परिणामों का भी विचार करना

चाहिए और जोखिम के इन अन्य प्रकारों के बीच संभाव्य पारस्परिक प्रभावों का विचार करना चाहिए।

47. बैंक को यह समझना चाहिए कि दबाव की घटनाओं से विभिन्न मुद्राओं तथा बहुविध भुगतान और निपटान प्रणालियों में एक साथ तत्काल चलनिधि की आवश्यकताएं उत्पन्न हो सकती हैं। बैंक को दबाव परीक्षणों में बाजार दबाव की घटनाओं के प्रति बाजार के अन्य सहभागियों की संभाव्य प्रतिक्रिया पर विचारकिया जाना चाहिए और इस बात पर भी विचारिकया जाना चाहिए कि किस प्रकार एक जैसी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप बाजार के उतार-चढ़ाव बढ़ सकते हैं तथा बाजार का तनाव और तीव्र हो सकता है। इन परीक्षणों में इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि अन्य बाजार सहभागियों के व्यवहार पर बैंक के अपने व्यवहार के संभाव्य प्रभाव क्या होगा। दबाव परीक्षणों में काउंटरपार्टियों (अथवा उनके संपर्ककर्ताओं तथा अभिरक्षकों) के व्यवहार का नकदी प्रवाहों के समय जिनमें एक दिन के भीतर होने वाले नकदी प्रवाह शामिल हैं, पर होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए।

48. परिदृश्य के प्रकार तथा तीव्रता के आधार पर बैंक द्वारा अपने कारोबार के लिए प्रासंगिक कुछ पूर्व धारणाओं के औचित्य पर विचार किया जाना आवश्यक है। बैंक द्वारा परिदृश्यों तथा संबंधित पूर्वधारणाओं का चुनाव सोच समझकर किया जानाचाहिए, उन्हें सुप्रलिखित किया जाना चाहिए तथा दबाव परीक्षण परिणामों के साथ उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। दबाव परीक्षण की पूर्वधारणाओं को निर्धारित करते समय बैंक को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

49. बैंकों को उनके द्वारा धारित की जाने वाली चलनिधि के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए दबाव परीक्षण करना चाहिए, जिसका विस्तार तथा बारंबारता बैंक के आकार तथा उनकी विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों/संकट उबरने की अवधि के दौरान आवश्यक चलनिधि के अनुरूप होनी चाहिए। बैंकों को संकट से उबरने की विभिन्न अवधियों को ध्यान में लेकर दबाव परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे एक महीना या उससे कम, दो से तीन महीने; तथा छः महीने अथवा उससे अधिक अवधि आदि।

दबाव परीक्षण परिणामों का उपयोग

50. दबाव परीक्षण के निष्कर्षों का उपयोग संभाव्य चलनिधि तनाव के स्रोतों को निर्धारित तथा परिमाणित करने तथा बैंक के नकदी प्रवाहों, चलनिधि स्थिति, लाभप्रदता तथा ऋण शोधन क्षमता पर संभाव्य प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए किया जाना चाहिए। दबाव परीक्षणों के निष्कर्षों पर एएलसीओ द्वारा पूर्णतः विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। बैंक के एक्सपोजरों को सीमित करने, समयोपयोगी चलनिधि निर्माण करने तथा चलनिधि प्रोफाइल को जोखिम सहने की

क्षमता के अनुरूप समायोजित करने के लिए सुधारात्मक अथवा जोखिम कम करने वाली कार्रवाइयों का निर्धारण और निष्पादन करना चाहिए। निष्कर्षों की बैंक की आकस्मिक निधि योजना को तैयार करने तथा चलनिधि तनाव की घटनाओं से निपटने के लिए रणनीति तथा व्यवहार कुशलताएं निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

51. दबाव परीक्षण के निष्कर्ष तथा उनपर की गई कार्रवाई बैंकों द्वारा प्रलेखित की जानी चाहिए और उसे आवश्यक होने पर रिज़र्व बैंक/निरीक्षण अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। यदि दबाव परीक्षण के निष्कर्षों में कोई संवेदनशील मद/कमियां प्रकट होती हैं तो उन्हें बोर्ड को रिपोर्ट किया जाए और तत्काल उससे निपटने की कार्य योजना बनाई जाए। ऐसे मामलों में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को भी तत्काल सूचित किया जाना चाहिए।

आकस्मिकताएं निधीयन योजना

52. बैंक को अपनी कुछ अथवा सभी गतिविधियों के लिए निधि उपलब्ध कराने की बैंक की क्षमता को संभाव्यतः प्रभावित करने वाले तीव्र विघटनों का सामना समय पर तथा उचित लागत पर करने के लिए एक आकस्मिकता निधीयन योजना (सीएफपी) तैयार करनी चाहिए। सीएफपी में बैंक विशिष्ट तथा बाजार व्यापी दबाव दोनों से संबंधित तीव्र चलनिधि दबाव के विभिन्न परिदृश्यों का प्रबंध करने के लिए बैंक को तैयार किया जाना चाहिए और उसे बैंक की जटिलता, जोखिम प्रोफाइल तथा परिचालनों के दायरों के अनुसार होना चाहिए। *आकस्मिकता योजनाओं में उपलब्ध/संभाव्य निधीयन स्रोतों तथा इन स्रोतों से आहरित की जा सकने वाली राशि/अनुमानित राशि, स्पष्ट वृद्धि/प्राथमिकता क्रियाविधियां जिनमें इस बात के ब्यौरे दिए गए हों कि प्रत्येक क्रिया को कब और किस तरह सक्रिय किया जा सकता है तथा किया जाना चाहिए और प्रत्येक आकस्मिकता स्रोतों में से अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय सीमा के ब्यौरे होने चाहिए।*

53. विविधीकरण करने की दृष्टि से बैंक आकस्मिकता निधीयन व्यवस्थाओं तथा/अथवा परस्पर ऋण व्यवस्था (उदा. भारत में आकस्मिकता निधियों को प्राप्त करने के करार के बदले देश के बाहर निधियां प्रदान करने का करार अथवा उसके विपरीत व्यवस्था) प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों/प्रकार के बैंकों (सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशी बैंक) के साथ आकस्मिकता निधीयन व्यवस्थाएं प्रारंभ कर सकता है। सीएफपी को अत्यधिक लचीला ढांचा भी प्रदान करना चाहिए ताकि बैंक विभिन्न परिस्थितियों में शीघ्र प्रतिक्रिया दे सके। सीएफपी का डिजाइन, योजनाएं तथा क्रियाविधियां बैंक के चलनिधि जोखिम के निरंतर विश्लेषण तथा दबाव परीक्षणों में प्रयोग में लाए गए परिदृश्यों तथा पूर्वधारणाओं के परिणामों के साथ दृढ़ता से समेकित होनी

चाहिए। वैसे भी, योजना को विभिन्न समय सीमाओं के दौरान होने वाले मामलों जिनमें एक दिन के भीतर होने वाले मामले भी शामिल है, को संबोधित करना चाहिए।

54. विघटनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक सामयिक प्रतिक्रिया सुलभ हो, इस उद्देश्य से सीएफपी में किस समय क्या कार्रवाई करनी है, कौन उसे कर सकता है और कौन से मामलों को बैंक में और वरिष्ठ स्तर पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है, इस सबंध में स्पष्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए। बैंक के विभिन्न कारोबारी व्यवस्थाओं तथा स्थानों के बीच प्रभावी आंतरिक सामंजस्य और संप्रेषण के लिए स्पष्ट क्रियाविधियां होनी चाहिए। उनमें यह भी दर्शाया जाए कि बाह्य पार्टियों, जैसे पर्यवेक्षक, केंद्रीय बैंकों अथवा भुगतान प्रणाली परिचालकों से कब और कैसे संपर्क किया जाए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि सीएफपी तथा दबाव परिदृश्यों का विकास तथा विश्लेषण करते समय बैंक को विभिन्न संस्थाओं, कारोबारी व्यवस्थाओं तथा क्षेत्राधिकारों के बीच चलनिधि तथा संपार्श्विक के अंतरण के लिए अपेक्षित क्रियाविधियों तथा ऐसे अंतरणों पर लागू होने वाले प्रतिबंधों जैसे विधिक, विनियामक तथा समय क्षेत्रों की बाध्यताओं के बारे में पूर्ण जानकारी हो। सीएफपी में ऐसी सुस्पष्ट नीतियां तथा क्रियाविधियां होनी चाहिए जिनसे बैंक का प्रबंध तंत्र समय पर तथा सोच-समझकर निर्णय ले सके, आकस्मिकता उपाय तेजी तथा निपुणता से निष्पादित कर सके और योजना को कारगरता से कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी संप्रेषण कर सके। इसमें निम्नलिखित भी शामिल होना चाहिएः

- सीएफपी का प्रयोग करने के प्राधिकार सहित भूमिकाओं तथा दायित्वों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो। संकटकालीन दल की स्थापना करने से चलनिधि संकट के दौरान आंतरिक समन्वय तथा निर्णय लेने में सुविधा हो सकती है;

- सीएफपी को कार्यान्वित करने का दायित्व जिन्हें सौंपा गया है उस दल के सदस्यों के नाम तथा संपर्क करने के ब्योरे तथा दल के सदस्यों का स्थान; तथा

- प्रमुख भूमिकाओं को निभाने वालों की वैकल्पिक व्यवस्थाओं के पदनाम।

आकस्मिकता योजनाओं की कारगरता तथा परिचालनात्मक ग्राह्यता को सुनिश्चित करने के लिए उनका नियमित परीक्षण करना आवश्यक है तथा बोर्ड द्वारा उनकी कम-से-कम वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाए।

भारतीय बैंकों की शाखाओं और सहायक बैंकों का विदेशी परिचालन

55. किसी बैंक की चलनिधि संबंधी नीति और कार्यविधि में निरंतर आधार पर उनकी विदेश स्थित शाखाओं/सहायक बैंकों के परिचालनगत चलनिधि के प्रबंधन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन और दिशानिर्देश दिये जाने चाहिए।

56. परिचालनगत चलनिधि या अल्पावधि वाली चलनिधि का प्रबंधन स्थानीय ट्रेजरी संबंधी कार्य के रूप में स्थानीय प्रबंध तंत्र को दिया जाना चाहिए। निधीयन संबंधी कुल आवश्यकताओं के आकलन और प्रबंधन के लिए विदेशी परिचालन के संबंध में संरचनात्मक चलनिधि पर विवरण दैनिक आधार पर तैयार किया जाए और रिज़र्व बैंक को मासिक आधार पर भेजा जाए। शाखाओं/सहायक बैंकों/संयुक्त उद्यमों के विदेशी परिचालन के लिए डीएसबी-0 विवरणी (डीएसबी-0-2) के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली मौजूदा 'संरचनात्मक चलनिधि पर रिपोर्ट' का स्थान यह विवरण ले लेगा। विदेश में परिचालन के लिए संरचनात्मक चलनिधि विवरण का प्रारूप **परिशिष्ट-॥ (भाग-ख चलनिधि विवरणी)** में दिया गया है। संरचनात्मक चलनिधि विवरण में आस्तियों और देयताओं के विभिन्न मदों का वर्गीकरण करते समय बैंक संरचनात्मक चलनिधि विवरण (रुपये) के संबंध में नकदी प्रवाह का वर्गीकरण करने के लिए **परिशिष्ट – IVक** में दिया गया मार्गदर्शन देख सकते हैं। विवरण देशवार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सहायक बैंकों/संयुक्त उद्यमों के संबंध में बैंक उसी प्रारूप में आंकड़े एकल आधार पर भी प्रस्तुत करें। घरेलू संरचनात्मक चलनिधि विवरण के मामले में कुल संचयी नकारात्मक विसंगति के लिए निर्धारित सहनशीलता की सीमा अर्थात् अगले दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन और 15-28 दिनों की समयावधि के संबंध में संचयी नकदी प्रवाह का 5%, 10%, 15%, 20%, विदेश में परिचालन (देशवार) भी लागू होगा। अब बैंकों के विदेश में परिचालन के संबंध में अल्पावधि गतिशील चलनिधि पर विवरण क्षेत्राधिकार के हिसाब से और विदेश में समग्र स्थिति दोनों तौर पर तैयार किया जाना अपेक्षित है (**परिशिष्ट III** देखें)।

57. चलनिधि प्रबंधन के संबंध में कुछ मुख्य मानदंड नीचे दिए जा रहे हैं:

i. बैंक सामान्य तौर पर दस वर्ष की अवधि से अधिक के स्वैच्छिक जोखिम एक्सपोजर न लें।
ii. बैंकों को अपनी दीर्घावधि आस्तियों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार दीर्घावधि वाले संसाधन और निधीयन संबंधी क्षमताओं के आधार को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
iii. परिपक्वता अंतर संबंधी सीमाएं निम्नलिखित सहनशीलता स्तरों के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए:

(क) दीर्घावधि के संसाधन दीर्घावधि आस्तियों के 70% से नीचे नहीं आने चाहिए; (ख) दीर्घ और मध्यम अवधि वाले संसाधन मिलकर दीर्घ और मध्यम अवधि की आस्तियों के 80% से नीचे नहीं आने चाहिए। ये नियंत्रण मुद्रा-वार और ऐसी सभी मुद्राओं के संबंध में किए जाने चाहिए जो अलग-अलग किसी बैंक के समेकित विदेशी तुलन पत्र का 10% या अधिक भाग हो। अंतर-मुद्रा स्थिति और परिपक्वता अंतराल की नेटिंग की अनुमति नहीं है। इन सीमाओं के प्रयोजन से अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:

अल्पावधिः 6 महीने के भीतर परिपक्व होने वाले।
मध्यावधिः 6 महीने या अधिक समय में परंतु 3 वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले।

दीर्घावधिः 3 वर्ष और अधिक समय में परिपक्व होने वाले।

iv. समेकित आधार पर, मुद्रा-वार विदेशी क्षेत्र के आस्ति-देयता संरचना में आने वाले अंतर को नियंत्रित करने के लिए निगरानी प्रणाली बैंक के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग में केन्द्रीकृत होना चाहिए। प्रत्येक बैंक का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग तिमाही समयावधि पर संरचनागत परिपक्वता की विसंगति की स्थिति की समीक्षा करे और बैंक के शीर्ष प्रबंध तंत्र को समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

58. अनेक बाह्य देशों में पर्यवेक्षीय प्राधिकारी बैंकों के अल्पावधि निधीयन के स्तरों का विनियमन करते हैं। वे या तो परिपक्वता विसंगति का स्तर कम करने के लिए सामान्य तौर पर दीर्घावधि संसाधन में वृद्धि करने हेतु बैंकों से अपेक्षा रखते हैं या उन्हें स्वीकृत परिपक्वता विसंगति पर विवेकपूर्ण उच्चतम सीमा या सहनशीलता सीमा निर्धारित करते हैं। ऐसे देशों में जहां परिपक्वता संरचना में विसंगति परिचालन या पर्यवेक्षण संबंधी दिशानिर्देश के अधीन हैं, वहां उन पर मेजबान देश के विनियामक अथवा विवेकपूर्ण मानदंड के भीतर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही, कारपोरेट स्तर पर (अर्थात् संपूर्ण रूप से विदेशी क्षेत्र के संबंध में) परिपक्वता संबंधी विसंगति का नियंत्रण भी वैश्विक आस्ति-देयता संबंधी संरचना पर सहनशीलता सीमा निर्धारित करके बैंक के प्रबंध तंत्र द्वारा किया जाना चाहिए और सकल रूप से उनकी निगरानी की जानी चाहिए। केंद्रीयकृत आधार पर उचित नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

चलनिधि का रख-रखाव – केंद्रीकरण बनाम विकेन्द्रीकरण

59. विकेंद्रीकरण का तात्पर्य बैंकिंग समूह की केंद्रीय ट्रेजरी की तुलना में बैंक की शाखाओं और सहायक बैंकों के वित्तीय स्वायत्तता के स्तर से है। पूर्णतः विकेन्द्रीकृत मॉडल में संबंधित स्थानीय संस्थाओं के पास निधीयन और चलनिधि प्रबंधन की जिम्मेदारी रहती है जो चरम स्थिति में साझा स्वामित्व के अंतर्गत स्वायत संस्थाओं के समूह के रूप में कार्य करती हैं। विकेन्द्रीकृत पद्धति में स्थानीय संस्थाएं अपनी गतिविधियों के लिए निधि जुटाने की योजना बनाती हैं, निधि जुटाती हैं और संबद्ध चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करते हैं। वे मेजबान देशों से निधि जुटाती हैं और मेजबान देश के स्थानीय स्रोत तक पहुंचकर स्वायत रूप से किसी कमी को पूरा करती हैं। ऐसी पद्धति के अंतर्गत केंद्रीय ट्रेजरी की भूमिका सीमित होती है।

60. स्पेक्ट्रम के दूसरी छोर पर पूर्णतः केंद्रीकृत मॉडल समूह स्तर पर केंद्रीय ट्रेजरी में निधीयन और चलनिधि प्रबंधन करता है। केंद्रीय ट्रेजरी संगठन में धन वितरित करती है, पूर्णतः केंद्र द्वारा निर्दिष्ट विसंगति सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करती है और तरल आस्तियों के समूह का प्रबंधन करती है। किसी बैंक के विदेशी परिचालन से समूह के अन्य अंगों से अलग होकर अपने स्वयं के तुलन पत्र के निधीयन की अपेक्षा नहीं की जाती। केंद्रीकृत मॉडल में अत्यधिक अंतः समूह अंतरण (आंतरिक बाजार) होता है और यह मॉडल अधिकांशतः विदेशी मुद्रा के स्वैप बाजार पर आश्रित है।

61. व्यावहारिक तौर पर पूर्णतः केंद्रीकृत मॉडल विरला ही होता है, क्योंकि किसी समूह की शाखाओं और सहायक बैंकों के प्रतिदिन के परिचालन के लिए स्थानीय नकदी प्रवाह की व्यवस्था करने की न्यूनतम स्वतंत्रता आवश्यक होती है। यही बात पूर्णतः विकेन्द्रीकृत मॉडल के संबंध में भी कही जा सकती है।

62. सैद्धांतिक तौर पर (वि)केन्द्रीकरण की अवधारणा निधीयन और चलनिधि प्रबंधन पर अलग-अलग लागू की जा सकती है। केन्द्रीकृत निधीयन परंतु विकेन्द्रीकृत चलनिधि प्रबंधन के मॉडल में परिपक्वता और मुद्रा विसंगति और चलनिधि आस्ति की आवश्यकता के संबंध में स्थानीय तौर पर निर्धारित सीमाओं के अनुसार आस्तियों के निधीयन की व्यवस्था करने के एक साधन के रूप में संभवतः पूर्वनिर्धारित दर पर केन्द्रीय ट्रेजरी से स्थानीय संस्थाएं निधीयन प्राप्त कर सकी हैं (ट्रेजरी के माध्यम से किसी भी अतिरिक्त निधि के वितरण या निवेश के साथ)। इसके विपरीत, निधीयन संबंधी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए स्थानीय जिम्मेदारी के साथ-साथ केंद्र द्वारा निर्दिष्ट विसंगति सीमा और केंद्रीय ट्रेजरी द्वारा चलनिधि आस्ति का प्रबंधन हो सकता है।

63. यद्यपि विकेंद्रीकृत निधीयन की नीति के कारण बैंकों पर उच्चतर लागत का बोझ आ सकता है, तथापि निधीयन का अधिक-से-अधिक विकेन्द्रीकरण बैंकों को अतःसमूह संक्रमण और पूरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संक्रमण से बचायेगा। इससे समस्याओं के स्थानीय समाधान की पद्धति को भी बढ़ावा मिलता है। वैश्विक वित्तीय संकट के साक्ष्य से भी इस मत की पुष्टि होती है कि अधिक विकेंद्रीकृत मॉडल का अनुसरण करने वाले बैंक अधिक केंद्रीकृत निधीयन मॉडल को अपनाने वाले बैंकों की तुलना में निधीयन समस्या से कुछ कम प्रभावित हुए थे।

64. केंद्रीकृत निधीयन नीति के मामले में, समूह के भीतर चलनिधि की अंतरणीयता में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं ये कठिनाइयां परिचालन संबंधी (निपटान प्रणालियों की संयोजना) या आंतरिक सीमाओं के कारण या समूह की नीतियों या मेजबान देश के क्षेत्राधिकार द्वारा प्रस्तुत विधिक या विनियामक बाधाओं (जैसे पूंजी आवश्यकता, वृहद् एक्सपोजर सीमाएं, रिंग फेंसिंग नियम इत्यादि) के कारण उत्पन्न हो सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, समूह-व्यापी चलनिधि दबाव या प्रणालीगत (बाज़ार) दबाव के समय, आवश्यकतानुसार निधियों के सामयिक अंतरण के लिए समूह के अन्य भागों में अधिक अतिरिक्त चलनिधि नहीं भी हो सकती है। यदि दबाव के दौरान विदेशी मुद्रा स्वैप बाजार के कार्य में बाधा पड़ती है, तो समूह की इकाइयों को धन उपलब्ध कराना बहुत कठिन हो जाएगा। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीकृत चलनिधि प्रबंधन का उद्देश्य समूह के भीतर चलनिधि आबंटन को बेहतर बनाना होना चाहिए। फिर भी, संकट प्रबंधन के चरण में सभी बैंक, चाहे उनका नीतिगत निधीयन मॉडल किसी भी प्रकार का हो, अंतः समूह अंतरण का कुशल प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

65. भारतीय बैंकों को कुछ लचीलेपन के साथ विकेंद्रीकृत मोडल अपनाना चाहिए। यह लचीलापन क्षेत्राधिकार/संस्थाओं के भीतर चलनिधि के अंतरण से संबंधित बाधाओं को ध्यान में रखकर किसी क्षेत्राधिकार/मुद्रा के लिए चलनिधि व्यवस्था करने वाले क्षेत्रीय केंद्र/स्थल के रूप में हो सकता है। वर्तमान

में इस प्रकार का विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण न रखने वाले बैंक इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं। मॉडल चाहे किसी भी प्रकार का हो विविध मंचों वाली संस्थाओं और विधिक हस्तियों के लिए केंद्रीय चलनिधि प्रबंधन की निगरानी का कार्य करना आवश्यक है। समूह के नीति दस्तावेजों में संस्थाव्यापी चलनिधि जोखिम की निगरानी और सहायक कंपनियों और विदेशी शाखाओं के परिचालन के पर्यवेक्षण के स्वरूप का वर्णन होना चाहिए। निधियों और संपार्श्विक की अंतरणीयता के संबंध में अवधारणाएं बैंक की चलनिधि जोखिम प्रबंध योजना में उल्लिखित होनी चाहिए।

चलनिधि रखना- भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं और भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं

66. भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे एकल बैंक और समेकित स्तर पर दोनों रूप में पर्याप्त चलनिधि रखें चाहे संगठनात्मक ढांचा और केंद्रीकृत अथवा विकेंद्रीकृत चलनिधि जोखिम प्रबंधन का स्तर किसी भी प्रकार का हो। बैंक को हरेक विधक हस्ती, विदेशी शाखा और सहायक कंपनी और पूरे समूह के स्तर पर चलनिधि जोखिम का सक्रिय रूप से निगरानी और नियंत्रण करना चाहिए, जिसमें वे प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए जो चलनिधि जोखिम एक्सपोजर का समूहव्यापी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आंकड़ा एकत्र करती हैं और समूह के भीतर चलनिधि के अंतरण में रुकावटों की पाहचान करती हैं। यदि सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सहयोगी बैंक सहित विधिक हस्तियां रिज़र्व बैंक के अलावा किसी अन्य विनियामक के पर्यवेक्षण के अधीन हैं, तो उन पर उक्त विनियामक व्यवस्था लागू होगी। यदि उन पर ऐसा विनियामक पर्यवेक्षण लागू न हो, तो उन्हें बैंक जैसे विनियामक चलनिधि मानकों को विकसित कर अपनाना चाहिए। साथ ही, समेकित आधार पर समूह के लिए लागू होने वाले विनियामक मानदंड का भी पालन किया जाना चाहिए

67. भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों से अपेक्षित है कि वे मेजबान या गृह देश की अपेक्षाओं के अनुसार चलनिधि का प्रबंधन करें, इनमें जो भी अधिक सख्त हो यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय बैंकों की शाखाएं और सहायक कंपनियां चलनिधि प्रबंधन के संबंध में आत्मनिर्भर हों और ऊपर पैराग्राफ 45 से 49 में दिए गए ढांचे के भीतर अपने भरोसे ही गंभीर परंतु मुमकिन दबावपूर्ण परिदृश्यों का सामना करने में समर्थ हों तथापि, अत्यधिक दबावपूर्ण स्थिति के मामले में भले ही भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को अपने प्रधान कार्यालयों से मिलने वाली चलनिधि सहायता पर निर्भर होना पड़े, लेकिन उनकी सहायक कंपनियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए

68. इसी प्रकार, भारत में कार्यरत विदेशी बैंक को चलनिधि के रख-रखाव और प्रबंधन के संबंध में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए अत्यधिक दबाव की स्थिति में मूल संस्था/प्रधान कार्यालय से प्राप्त होने वाली सहायता पर निर्भर किया जा सकता है तथापि, निधि की उपलब्धता के संबंध में संभावित विलंब सहित, मूल संस्था/प्रधान कार्यालय से प्राप्त निधि के हस्तांतरण के संबंध में संभावित अवरोध को आपातकालीन निधीयन योजना में निधि के स्रोत के रूप में इसे शामिल करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए बैंकों को दबाव की उस स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए जब बाजार/समूह व्यापी दबाव की स्थिति में निधि बैंकों के लिए उपलब्ध न हो।

मुद्राओं में तरलता

69. बैंक जिन प्रमुख मुद्राओं में सक्रिय हैं, उनकी चलनिधि की स्थिति की माप, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली अपनाएं जहां तक देशी परिचालन का संबंध है, विदेशी मुद्राओं में चलनिधि विसंगति का मूल्यांकन करने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे विद्यमान अनुदेशों के अनुसार परिपक्वता और स्थिति विवरण तैयार करें इन विवरणों की समीक्षा की गई है और **परिशिष्ट II (चलनिधि विवरणी, भाग क 2)** में दिए अनुसार रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं संशोधित कर दी गई हैं अंतर्प्रवाह और बहिर्वाह की विभिन्न मदों का वर्गीकरण करने के लिए मार्गदर्शन **परिशिष्ट IV ख** में दिए गए हैं अपनी समग्र विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकता और अपनी देशी मुद्रा संबंधी वचनबद्धता के साथ स्वीकार्य विसंगति का मूल्यांकन करने के साथ-साथ बैंक को दबाव परीक्षण के परिणाम को ध्यान में रखते हुए हरेक मुख्य मुद्रा के लिए अपनी रणनीति का अलग-अलग विश्लेषण करना चाहिए

70. संपूर्ण रूप से बैंक के लिए विदेशी मुद्रा विसंगति के आकार में निम्न को ध्यान में रखा जाए (क) विदेशी मुद्रा बाजार में निधि जुटाने में बैंक की समर्थता, (ख) अपने देशी बाजार में उपलब्ध विदेशी मुद्रा समर्थन सुविधा का अनुमानित स्तर, (ग) एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में और देशों में/क्षेत्राधिकारों में और विधिक संस्थाओं में चलनिधि आधिक्य को अंतरित करने की समर्थता, और (घ) जिन मुद्राओं में बैंक सक्रिय है, उनकी संभावित परिवर्तनीयता तथा किसी खास मुद्रा-युगल के बीच विदेशी मुद्रा स्वैप बाज़ार की संभावित रुकावट या पूरी तरह बंद हो जाने की स्थिति

प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस)

71. बैंक के पास एक विश्वसनीय प्रबंध सूचना प्रणाली होनी चाहिए जिसकी रचना इस प्रकार की गयी हो कि वह बैंक और समूह की चलनिधि स्थिति के संबंध में सामयिक और भविष्यमुखी सूचना बोर्ड और आलको को सामान्य और दबाव वाली परिस्थितियों में दे प्रबंध सूचना प्रणाली में उन सभी मुद्राओं में चलनिधि पोजीशन दी जानी चाहिए जिसमें बैंक अपना कारोबार करता है – सहायक संस्था/शाखा दोनों आधार पर (सभी देशों में जहां बैंक सक्रिय है) तथा संपूर्ण समूह के आधार पर इसमें चलनिधि जोखिम के सभी स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए, जिनमें आकस्मिक जोखिम और नयी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम शामिल होने चाहिए तथा दबाव की घटनाओं के दौरान अधिक विस्तृत और समय संवेदी सूचना देने की क्षमता होनी चाहिए

72. चलनिधि जोखिम रिपोर्टों में पर्याप्त ब्यौरे होने चाहिए जो बाजार परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रति बैंक की संवेदनशीलता, उसके अपने वित्तीय कार्य निष्पादन और अन्य महत्वपूर्ण जोखिम पहलुओं के मूल्यांकन में सहायक हो इनमें नकदी प्रवाह के अनुमान, नकदी प्रवाह अंतराल, आस्ति और निधीयन संकेंद्रण, नकदी प्रवाह अनुमानों में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अवधारणाएं, निधीयन की उपलब्धता, चलनिधि जोखिम प्रबंध के संबंध में विभिन्न् विनियामक और आंतरिक सीमाओं का अनुपालन, दबाव परीक्षणों का परिणाम, महत्वूपर्ण आरंभिक सचेतक अथवा जोखिम संकेतक, आकस्मिक निधीयन स्रोतों की स्थिति, अथवा संपार्श्विक का उपयोग आदि शामिल हो सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट भेजना

73. वर्तमान चलनिधि रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की समीक्षा की गयी है बैंकों को प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई को निम्नानुसार संशोधित चलनिधि विवरणी भेजनी होगी

संरचनात्मक चलनिधि का विवरणः वर्तमान में बैंक देशी मुद्राओं के लिए संरचनात्मक चलनिधि का विवरण पाक्षिक अंतराल पर तथा विदेशी परिचालनों के लिए संरचनात्मक चलनिधि का विवरण तिमाही अंतराल पर भेज रहे हैं इसके अलावा, छमाही अंतराल पर समेकित विवेकपूर्ण विवरण (सीपीआर) के अंतर्गत समेकित बैंक के लिए संरचनात्मक चलनिधि का विवरण निर्धारित किया गया है तथापि, संशोधित अपेक्षाओं के अंतर्गत इस विवरण को पांच भागों में बांटा गया है अर्थात् (i) 'देशी मुद्रा, भारतीय परिचालनों के लिए', (ii) 'विदेशी मुद्रा, भारतीय परिचालनों के लिए, (iii) 'सम्मिलित भारतीय परिचालनों के लिए', (iv) विदेशी परिचालनों के लिए और (v) 'समेकित बैंक परिचालनों के लिए' (i) से (iii) तक के विवरण पाक्षिक आधार पर तथा (iv) और (v) के विवरण क्रमशः मासिक और तिमाही आधार पर भेजे जाने चाहिए बैंकों द्वारा मासिक अंतरालों पर प्रस्तुत किया जानेवाला परिपक्वता एवं स्थिति विवरण (एमएपी) अब बंद किया जाता है क्योंकि विदेशी मुद्रा, भारतीय परिचालन के विवरण में उक्त को शामिल किया गया है विवरणी के प्रत्येक भाग से संबंधित आवधिकता नीचे सारणी 2 में दी गई हैः

सारणी 2

क्र.सं.	चलनिधि विवरणी (एलआर) का नाम	आवधिकता[6]	रिपोर्ट करने की समयावधि
	संरचनात्मक चलनिधि विवरण		
(i)	भाग क 1 – संरचनात्मक चलनिधि विवरण – देशी मुद्रा, भारतीय परिचालन	पाक्षिक*	रिपोर्टिंग तिथि से एक सप्ताह के भीतर
(ii)	भाग क 2 – संरचनात्मक चलनिधि विवरण – विदेशी मुद्रा, भारतीय परिचालन	- वही-	- वही-
(iii)	भाग क 3 – संरचनात्मक चलनिधि विवरण – संयुक्त भारतीय परिचालन	- वही-	- वही-
(iv)	भाग ख-विदेशी परिचालनों के लिए संरचनात्मक चलनिधि विवरण	मासिक#	रिपोर्टिंग की तिथि से 15 दिन के भीतर
(v)	भाग ग – समेकित बैंक परिचालनों के लिए संरचनात्मक चलनिधि विवरण	तिमाही#	रिपोर्टिंग की तिथि से एक महीने के भीतर

* रिपोर्टिंग की तिथियां महीने की 15 और अंतिम तारीख होगी – इन तिथियों को अवकाश होने की स्थिति में रिपोर्टिंग की तारीख होगी उससे पहले का कार्य दिवस

रिपोर्टिंग की तिथि होगी महीने/तिमाही का अंतिम कार्य दिवस

74. विवरणियों के फार्मेट परिशिष्ट II के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं संशोधित फॉर्मेट में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में पहली मार्च 2013 को समाप्त होने वाले संबंधित पखवाड़े/महीने/तिमाही से रिपोर्ट भेजी जाए

आंतरिक नियंत्रण

[6] विवरणियों की प्रस्तुति के माध्यम के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा

75. चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीतियों तथा क्रियाविधियों का अनुपालन तथा चलनिधि जोखिम प्रबंधन कार्य की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए बैंक में समुचित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियां तथा क्रियाविधियां होनी चाहिए

76. प्रबंध तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी स्वतंत्र पक्ष द्वारा बैंक की चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न घटकों की नियमित समीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाता है इन समीक्षाओं में इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि बैंक के चलनिधि जोखिम प्रबंधन में कहां तक विनियामक/पर्यवेक्षी अनुदेशों तथा उसकी अपनी नीति का अनुपालन होता है स्वतंत्र समीक्षा प्रक्रिया को उन प्रमुख मामलों को रिपोर्ट करना चाहिए जिन पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है और इसमें विभिन्न मार्गदर्शनों/सीमाओं के अननुपालन के उदाहरण भी शामिल होने चाहिए जिन पर बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुरूप तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करनी अपेक्षित है

परिशिष्ट IV क

<u>संरचनात्मक चलनिधि विवरण में बैंकों के भावी नकदी प्रवाहों का खांचाकरण करने हेतु मार्गदर्शन</u>
<u>भाग क 1 और भाग ख</u>

खातों के शीर्ष			**समय अवधियों में वर्गीकरण**
क.	**बहिर्गम**		
1.	पूंजी, आरक्षित एवं अधिशेष निधियां		5 वर्ष से अधिक की समयावधि
2.	मांग जमा (चालू एवं बचत बैंक जमा)		बचत बैंक और चालू जमा को परिवर्तनशील और कोर अंशों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आम तौर पर बचत बैंक (10%) और चालू जमा (15%) मांग करने पर आहरित किये जा सकते हैं। इस अंश को परिवर्तनशील माना जा सकता है। जबकि परिवर्तनशील अंशों को बैंकों के आकलन एवं अनुभव के आधार पर 1 दिन, 2-7 दिन और 8-14 दिनों की समयावधि में रखा जा सकता है तथा कोर अंश को 1 से 3 वर्ष के समयावधि में जा सकता है।
			बचत बैंक एवं चालू जमा के रूप में उक्त वर्गीकरण केवल एक बेंचमार्क है। जो बैंक पहले के डेटा/ वैज्ञानिक अध्यनों के आधार पर व्यवहार-वादी उदाहरणों, रोल इन, रोल आउट, ज़ड़े हुए विकल्पों का आकलन करने में बेहतर रूप से सक्षम हैं वे बोर्ड/ एएलसीओ के अनुमोदन के अधीन वर्गीकृत कर सकते हैं उनको समुचित अवधियों में अर्थात् **संविदात्मक** अवधिपूर्णता की बजाए **व्यवहार-वादी** अवधिपूर्णता।
3.	मीयादी जमा		संबंधित परिपक्वता समयावधि। तथापि थोक जमा संबंधित समयावधि में दर्शाए जाने चाहिए।
4.	जमा प्रमाणपत्र, उधार एवं बांड (गौण ऋण सहित)		संबंधित परिपक्वता समयावधि। जहां कॉल/पुट आप्शन किसी लिखत के निर्गमन संरचना में निर्मित हैं कॉल/पुट की तिथि/यां परिपक्वता की तिथि/यां मानी जाएं तथा रकम संबंधित समय अवधियों में दर्शायी जानी चाहिए।
5.	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**		
	(i)	देय बिल	(i) युक्तिसंगत रूप से पहले के डेटा एवं व्यवहारवादी उदाहरणोंके आधार पर आंकलित किए जा सकने वाले कोर घटकों, को '1-3 वर्ष' समयावधि के अंतर्गत दर्शाया जाए। शेष रकम को 1 दिन, 2-7 दिनों तथा 8-14 दिनों के समयावधि व्यवहारवादी के अनुसार रखा जाए।
	(ii)	ऋण हानियों तथा निवेशों के मूल्यहास के अतिरिक्त अन्य प्रावधान	(ii) यथाउद्देश्य संबंधित समयावधि।
	(iii)	अन्य देयताएं	(iii) संबंधित परिपक्वता समयावधि। नकदी देय राशियों को नहीं दर्शाने वाली मदें (जैसे अग्रिम के रूप में प्राप्त आय, इत्यादि) पांच वर्ष से अधिक वाले समयावधि में डाली जा सकती हैं।
6.	प्राप्त किया गया निर्यात पुनर्वित्त		बुनियादी परिसंपत्तियों के संबंधित परिपक्वता समय समयावधि
ख.	**आगम**		
1.	नकदी		समय समयावधि दिन 1
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष		अपेक्षित सीआरआर/एसएलआर से अधिक वाला अतिरिक्त जमा शेष समय समयावधि दिन 1 में दर्शाया जाए, सांविधिक 14 दिन के टाइम-

			लैग के साथ डीटीएल की परिपक्वता प्रोफाइल के अनुसार शेष विभिन्न समयावधियों में बांट दिया जाए। ।
3.	**अन्य बैंकों के पास रखा शेष**		
	(i)	चालू खाता	न्यूनतम शेष की शर्तों के कारण आहरण न करने योग्य हिस्सा '1-3 वर्ष से अधिक' के समयावधि के अंतर्गत दर्शाया जाए तथा बचा हुआ शेष 1 दिन समयावधि में दर्शाया जाए।
	(ii)	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि, मीयादी जमा तथा अन्य जमा	संबंधित परिपक्वता समयावधि
4.	**निवेश (प्रावधानों का निवल)#**		
	(i)	अनुमोदित प्रतिभूतियां	(i) संबंधित परिपक्वता समयावधि; विभिन्न समयावधि में डीटीएल के अनुसार एसएलआर बनाए रखने के लिए पुनर्निवेश के लिए अपेक्षित रकम को छोड़कर।
	(ii)	कॉरपोरेट डिबेंचर और बांड, पीएसयू बांड, जमा-प्रमाण पत्र तथा सीपी, भुनाने योग्य अधिमानी शेयर, म्युचुअल फंडों के यूनिट (क्लोज एण्डेड), इत्यादि	(ii) संबंधित परिपक्वता समय समयावधि। अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत निवेशों को 3-5 वर्ष की समयावधि (उप-स्तरीय) के अंतर्गत अथवा 5 वर्ष से ऊपर की समयावधि (संदिग्ध) के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।
	(iii)	शेयर	(iii) 50% के मार्जिन के साथ सूचीबद्ध शेयर 2-7 दिन वाले समय समयावधि में (सुनियोजित निवेशों को छोड़कर) । अन्य शेयरों को '5 वर्ष से अधिक' समय समयावधि में।
	(iv)	म्युचुअल फंडों के यूनिट (ओपन एण्डेड)	(iv) 1 दिन समय समयावधि।
	(v)	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश	(v) '5 वर्ष से अधिक' समय समयावधि
	(vi)	व्यापार बही में प्रतिभूतियां	(vi) विफलीकरण अवधियों के अनुसार 1 दिन, 2-7 दिन, 8-14 दिन, 15-28 दिन और 29-90 दिन ।
	#	सकल निवेशों में से प्रावधानों को निवलित किया जाए बशर्ते प्रावधान प्रतिभूति के आधार पर धारित हों। अन्यथा प्रावधान पांच वर्ष से अधिक की समयावधि में दर्शाए जाने चाहिए।	
5.	**अग्रिम (अर्जक)**		
	(i)	(डीयूपीएन के अंतर्गत हुंडियों सहित) खरीदी एवं भुनाई गई हुंडियां।	(i) संबंधित परिपक्वता समय-समयावधि।
	(ii)	नकदी क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट (टीओडी सहित) तथा कार्यशील पूंजी का मांग ऋण घटक	(ii) बैंकों को बकायों तथा कोर के आधार पर व्यवहारवादी और मौसम आधारित लाभ प्राप्त करने के पैटर्नों तथा परिवर्तनशील अंश को चिह्नित करने हेतु अध्ययन करवाना चाहिए। जबकि परिवर्तनशील अंश को निकट कालिक परिपक्वता समयावधियों में दर्शाया जा सकता है, कोर हिस्से को '1-3 वर्ष से ऊपर' वाले समयावधि में दर्शाया जा सकता है।
	(iii)	मीयादी ऋण	(iii) अंतरिम नकदी प्रवाहों को संबंधित परिपक्वता समयावधि में दर्शाया जा सकता है।
6.	**अनर्जक आस्तियां (ईसीजीसी/डीआईसीजीसी से प्राप्त प्रावधानों, ब्याज सस्पेंस तथा दावों का निवल)**		
	(i)	अवमानक	(i) 3-5 वर्ष से अधिक समय-समयावधि

	(ii)	संदिग्ध एवं हानि	(ii) 5 वर्ष से अधिक समय-समयावधि
7.	**अचल परिसंपत्तियां/पट्टे पर दी हुई परिसंपत्तियां**		'5 वर्ष से अधिक' समय समयावधि/अंतरिम नकदी प्रवाहों को संबंधित परिपक्वता समयावधि में दर्शाया जाए।
8.	**अन्य परिसंपत्तियां**		
	(i)	अमूर्त परिसंपत्तियां	अमूर्त परिसंपत्तियां और वे आस्तियां जो नकद प्राप्तियां नहीं दर्शाती हैं उन्हें '5 वर्ष से अधिक' समय समयावधि में दर्शाना चाहिए।
	सी.	**तुलनपत्रेतर मदें**	
1		**प्रतिबद्ध/उपलब्ध ऋण व्यवस्थाएं**	
	(i)	संस्थाओं को/से प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्थाएं	(i) दिन 1 समय समयावधि
	(ii)	नकद-ऋण/ओवरड्राफ्ट/ कार्यशील पूंजी सीमाओं (बहिर्गम) के मांग ऋण वाले घटक का वह हिस्सा जिसका लाभ न लिया गया हो।	(ii) बैंकों को खातों में संभावी लाभों का व्यवहारवादी तथा आधारित पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त रकम को 12 माह के संबंधित परिपक्वता समयावधियों में दर्शाना चाहिए।
	(iii)	निर्यात पुनर्वित्त - जिसका लाभ न लिया गया हो (आगम)	(iii)1 दिन समय समयावधि
2	**आकस्मिक देयताएं**		
	साख पत्र/गारंटी (आउटफ्लो)		आरंभ में नकदी का बहिर्गमन साख पत्रों/गारंटियों के विकास के बाद होता है। इस प्रकार विकासों पर ऐतिहासिक रुझान विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस प्रकार बकाया साख पत्रों/गारंटियों (मार्जिनों के निवल) के संबंध में प्राप्त राशि को विभिन्न समयावधियों के बीच बांट देना चाहिए। उन विकासों से उत्पन्न परिसंपत्तियों को वसूली की संभावित तिथियों के आधार पर संबंधित परिपक्वता समयावधियों में दर्शाया जाए।
3	**अन्य आगम और बर्हिगम**		
	(i)	रेपो/पुनर्भुनाई वाले बिल (डीयूपीएन)/सीबीएलओ/ स्वैप्सआईएनआर/यूएसडी, परिपक्व होने वाली विदेशी वायदा विनिमय संविदाएं/फयूचर्स इत्यादि (आउटफ्लो/इन्फ्लो)	(i) संबंधित परिपक्वता समय समयावधि
	(ii)	देय/प्राप्य ब्याज (बहिर्गम/आगम) – उपचित ब्याज जो रिपोर्टिंग के दिन बहियों में प्रदर्शित हो रहे हैं।	(ii) संबंधित परिपक्वता समय समयावधि
	नोटः		
	(i)	घटना नकदी प्रवाह अर्थात् रिपोर्टिंग शुक्रवारों को सीआरआर में कमी आना, वेतन समझौता, पूंजी व्यय इत्यादि जो बैंकों को ज्ञात है, तथा कोई अन्य आकस्मिकता संबंधित परिपक्वता समयावधियों में दर्शाए जा सकते हैं। घटना नकदी प्रवाह बहिर्गम, वृद्धिशील एसएलआर अपेक्षा	

		सहित, 'बर्हिगम-अन्य' के सामने दर्शाए जाने चाहिए।
	(ii)	सभी अतिदेय देयताएं व्यवहारवादी आकलनों के आधार पर दिन 1, 2-7 दिनों, 8-14 दिनों वाले समयावधियों में रखे जाएं।
	(iii)	एक महीने से कम समय से अतिदेय अग्रिम और निवेश हैं व्यवहारवादी आकलनों के आधार पर 1 दिन, 2-7 दिनों और 8-14 दिनों के समय अंतरालों में डाले जाएं। पुनः, यदि पहले की प्राप्य राशियां असंग्रहित रही हों तो देय ब्याज एवं एनपीए के रूप में वर्गीकरण से पहले किस्तें '29' दिनों से 3 महीने के समयावधियों में रखे जाएं ।
डी.	**गैप का वित्तीयन**	
	यदि निवल संचयी नकारात्मक विसंगतियां 1 दिन, 2-7 दिनों, 8-14 दिनों और 15-28 दिनों की समयावधियों के दौरान संबंधित समयावधि के संचयी नकदी बहिर्गमों के 5%, 10%, 15%, और 20% की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक हो जाती हैं, तो बैंक एक पाद-टिप्पणी द्वारा यह प्रदर्शित कर सकता है कि विसंगति को निर्धारित सीमा के भीतर लाने के लिए वह बैंक गैप का वित्तीयन किस प्रकार से करने का प्रस्ताव करता है।	

परिशिष्ट IV बी

<u>बैंकों के वायदा नकदी प्रवाहों का संरचनात्मक चलनिधि विवरण में खांचाकृत करने हेतु मार्गदर्शन</u>

<u>भाग क 2</u>

खातों के शीर्ष		**समय अवधियों में वर्गीकरण**
क.	**बर्हिगम**	
1.	वाणिज्यिक विक्रय, अंतर बैंक विक्रय, भारतीय रिज़र्व बैंक को विक्रय।	संविदा की शर्त के अनुसार – संबंधित परिपक्वता समय समयावधि।
2.	स्वैप (विनिमय), करेंसी फ्यूचर्स इत्यादि।	पे-ऑफ की प्रोफाइल के अनुसार संबंधित परिपक्वता समयावधि ।
3.	साख पत्र और गारंटी।	विकास पर ऐतिहासिक रुझान विश्लेषण किया जाना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त बकाया साख पत्रों/गारंटियों (मार्जिनों का निवल) को विभिन्न समयावधियों में वितरित किया जाना चाहिए।
4.	विदेशी मुद्रा जमा खाते जैसे एफसीएनआर (बी)/, ईईएफसी, आरएफसी इत्यादि।	मांग जमा खातों के लिए, रुपया बहिर्गम के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाए। मीयादी जमाओं के लिए - संबंधित परिपक्वता समयावधि।
5.	नोस्ट्रो खातों में ओवरड्राफ्ट।	1 दिन समय समयावधि।
6.	अंतर बैंक उधार।	संबंधित परिपक्वता समय समयावधि।
	बी. आगम	
1.	वाणिज्यिक क्रय, अंतर-बैंक क्रय, विदेशी क्रय, भारतीय रिज़र्व बैंक से क्रय।	संविदा की शर्त के अनुसार – संबंधित परिपक्वता समयावधि।
2.	स्वैप (विनिमय), करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शन।	पे-ऑफ की प्रोफाइल के अनुसार संबंधित परिपक्वता समयावधि ।
3.	नोस्ट्रो शेष।	1 दिन समय समयावधि।
4.	अल्पकालिक, दीर्घकालिक निवेश तथा ऋण।	संबंधित परिपक्वता समय समयावधि।

परिशिष्ट III

अल्पकालिक गतिशील चलनिधि का विवरण

बैंक का नाम :
रिपोर्ट करने की आवर्तता: मासिक
के अनुसार स्थिति:

□. **घरेलू परिचालन**

(राशि करोड़ रुपयों में)

क.	**बहिर्गम**	**दूसरे दिन**	**2-7 दिन**	**8-14 दिन**	**15-28 दिन**	**29-90 दिन**
1.	ऋणों तथा अग्रिमों में निवल वृद्धि					
2.	निवेशों में निवल वृद्धि					
	i) अनुमोदित प्रतिभूतियां					
	ii) मुद्रा बाजार लिखत (ट्रेजरी बिलों के अलावा)					
	iii) बांड/डिबेंचर/शेयर					
	iv) अन्य					
3.	अंतर बैंक बाध्यताएं/देनदारियां					
4.	तुलनपत्रेतर मदें (रेपो, स्वैप्स, भुनाई गई हुंडियां आदि)					
5.	अन्य					
	कुल बहिर्गम					
ख.	**कुल आगम**					
1.	निवल नकद की स्थिति					
2.	जमा में निवल वृद्धि (सीआरआर बाध्यताएं/देयताएं कम करके)					
3.	निवेशों पर ब्याज					
4.	अंतर-बैंक दावे					
5.	पुनर्वित्त पात्रता (निर्यात ऋण)					
6.	तुलनपत्रेतर मदें (रिपो, स्वैप्स, भुनाई गई हुंडियां आदि)					
7.	अन्य					
	कुल आगम					
ग.	विसंगति (ख-क)					
घ.	संचयी विसंगति					
ड..	कुल बहिर्गम के % के रूप में ग					

ख. विदेशी परिचालन (न्यायाधिकार क्षेत्र के आधार पर तथा ओवरआल विदेशी स्थिति) के आधार पर तैयार किया जाना है

(राशि करोड़ रुपयों में)

क.	बहिर्गम	दूसरे दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29-90 दिन
1.	ऋणों तथा अग्रिमों में निवल वृद्धि					
2.	निवेशों में निवल वृद्धि					
	i) अनुमोदित प्रतिभूतियां					
	ii) पूंजी बाजार लिखत (ट्रेजरी बिलों के अलावा)					
	iii) बांड/डिबेंचर/शेयर					
	iv) अन्य					
3.	अंतर बैंक बाध्यताएं/देनदारियां					
4.	तुलनपत्रेतर मदें (रिपो, स्वैप्स, भुनाई गई हुंडियां आदि)					
5.	अन्य					
	कुल बहिर्गम					
ख.	**आगम**					
1.	निवल नकद की स्थिति					
2.	जमा में निवल वृद्धि (सीआरआर बाध्यताएं/देयताएं कम करके)					
3.	निवेशों पर ब्याज					
4.	अंतर बैंक दावे					
5.	पुनर्वित्त पात्रता (निर्यात ऋण)					
6.	तुलनपत्रेतर मदें (रिपो, स्वैप्स, भुनाई गई हुंडियों आदि)					
7.	अन्य					
	कुल आगम					
सी.	विसंगति (ख-क)					
डी.	संचयी विसंगति					
ई.	कुल बहिर्गम के % के रूप में ग					

* एफईडीएआई द्वारा प्रकाशित संबंधित स्पाट दरों का प्रयोग करते हुए आईएनआर में परिवर्तित

परिशिष्ट V

दिशानिर्देशों में समेकित/संशोधित परिपत्रें की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	परिपत्र का संबंधित पैरा	विषय
1.	अ. शा. सं. बैंपविवि. आईबीएस/ 1163/सी.212 (एसजी)-86	5 जून 1986	1,2,3 अनुबंध क और ख	विदेशी कार्यालयों में नियंत्रण प्रणालियां –आस्ति देयता प्रबंधन
2.	ए.डी (एम.ए सीरिज़) परिपत्र सं. 16	15 मई 1999	-	विनिमय नियंत्रण नियमावली में संशोधन
3.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 8/ 21.04.098/99	10 फरवरी 1999	परिपत्र के 1 से 5, 7 और अनुबंध 1 से 6	आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली
4.	डीबीएस. बीसी.सं. ओएसएमओएस. 2/33.01.001.15/98-99	17 जुलाई 1999	1 से 3	डीएसबी रिटर्नों के द्वितीय श्रृंखला की शुरुआत
5.	बैंपविवि.सं. बीपी. (एससी). बीसी. 98/21.04.103/99	7 अक्तूबर 1999	परिपत्र के 13 और अनुबंध का 8.2 और 9.10	बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां
6.	डीबीएस.सीओ.एफबीसी.बीसी. 34/ 13.12.001/1999-2000	6 अप्रैल 2000	डीएसबी (ओ) रिटर्न	भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के पर्यवेक्षण पर कार्यदल की रिपोर्ट – कार्यान्वयन
7.	बैंपविवि. सं. बीपी. 520/ 21.04.103/2002-03	12 अक्तूबर 2002	2.1, 2.2, अध्याय 3	बाजार जोखिम् प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट
8.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/ 21.04.018/2001-02	25 फरवरी 2003	30	समेकित लेखांकन के लिए दिशानिर्देश तथा समेकित पर्यवेक्षण को सरल बनाने के लिए अन्य परिमाणात्मक युक्तियां
9.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 66/ 21.01.002/2006-07	6 मार्च 2007	-	अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं
10.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 101/ 21.04.103/2006-07	26 जून 2007	-	तनाव परीक्षण पर दिशानिर्देश
11.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/ 21.04.098/2007-08	24 अक्तूबर 2007	-	आस्ति-देयता (एएलएम) प्रणालियों पर दिशानिर्देश-संशोधन
12.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 66/ 21.06.001/2007-08	26 मार्च 2008	12.8	नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अंतर्गत पर्यवेक्षण समीक्षा प्रक्रिया –पिलर 2 के लिए दिशानिर्देश
13.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/ 21.04.018/99	10 फरवरी 1999	3,4	बैंकों का तुलनपत्र – सूचना का प्रकटीकरण
14.	आईडीएमडी.पीसीडी.3/14.01.01/2011-12	01 जुलाई 2011	3.1	मांग/नोटिस मुद्रा बाजार परिचालनों में मास्टर परिपत्र